

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT



प्रोमोशन ऑफ रिसर्च एटिट्यूड इन यंग एण्ड एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स
PROMOTION OF RESEARCH ATTITUDE IN YOUNG AND ASPIRING STUDENTS



प्रयास | Prayaas

RESEARCH | INNOVATION | SUCCESS

शोध | नवाचार | सफलता

दिशा निर्देश / GUIDELINES-2026-27

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT



प्रयास | Prayaas

RESEARCH | INNOVATION | SUCCESS

शोध | नवाचार | सफलता

प्रयास PRAYAAS

प्रोमोशन ऑफ रिसर्च एटिट्यूड इन यंग एण्ड
एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स
2026-27

PROMOTION OF RESEARCH ATTITUDE
IN YOUNG AND ASPIRING STUDENTS
2026-27

दिशानिर्देश विकास समिति (एनसीईआरटी)

मार्गदर्शन

प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
प्रोफेसर पी सी अग्रवाल संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
प्रो. श्रीधर श्रीवास्तव, पूर्व संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.

सदस्य

आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, डी.ई.एस.एम
आशुतोष केदारनाथ वझलवार, आचार्य, डी.ई.एस.एम
अंजनी कौल, आचार्य, डी.ई.एस.एम
अनूप राजपूत, आचार्य, डी.ई.ई
अरुण प्रताप सिकरवार, सह-आचार्य, डी.ई.एस.एम
दिनेश कुमार, आचार्य, डी.ई.एस.एम
जुबली पद्मनाभन, सह-आचार्य, डी.ई.एस.एम
एल.के. तिवारी, आचार्य, आर.आई.ई. भोपाल
लालमिन किपगेन, सहायक आचार्य, डी.ई.एस.एम
मुनींद्र रुवाली, सह-आचार्य, डी.ई.एस.एम
पी.वी. राघवेंद्र, सह-आचार्य, डी.ई.एस.एम
प्रमिला तंवर, आचार्य, डी.ई.एस.एम
पुनीत शर्मा सहायक आचार्य, डी.ई.के
पुष्पलता वर्मा, आचार्य, डी.ई.एस.एम
रविन्द्र कुमार पाराशर, आचार्य, डी.ई.एस.एम
रचना गर्ग, आचार्य, डी.ई.एस.एम
रामअवतार मीना, प्रोफेसर, डी.ई.एस.एम
रेजाउल करीम बरभुइया, सहायक आचार्य, सी.आई.ई.टी
ऋषिकेश कुमार, सहायक आचार्य, डी.ई.एस.एम
रूचि वर्मा, आचार्य, डी.ई.एस.एम
एस.वी. शर्मा, आचार्य, डी.ई.एस.एम
सुदेश कुमार, सह-आचार्य, डी.ई.एस.एम
टी.पी. शर्मा, आचार्य, डी.ई.एस.एम

सदस्य समन्वयक

सुनीता फरक्या, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम
सी.वी. शिमेरे, आचार्य, डी.ई.एस.एम
गगन गुप्त, सह-आचार्य, डी.ई.एस.एम

अनुवाद सहायता

संजीव कुमार, हिंदी अधिकारी, हिंदी प्रकोष्ठ
मनीष सिवाच, SO, DESM

सहायक स्टाफ

प्रीति शर्मा, एसआरए, डी.ई.एस.एम
अनीता, जेपीएफ, डी.ई.एस.एम
प्रभात कुमार, जेपीएफ, डी.ई.एस.एम

तकनीकी सहायता

बृजेश, ग्राफिक डिजाइनर, डी.ई.एस.एम
कुणाल राजोरिया, ग्राफिक डिजाइनर, DESM

Guidelines Development Committee (NCERT)

Guidance

Prof. Dinesh Prasad Saklani, Director, NCERT
Prof. P. C. Agrawal, Joint Director, NCERT
Prof. Sridhar Srivastava, Former Joint Director, NCERT

Member

A. K. Srivastava, Assistant Professor, DESM
A. K. Wazalwar, Professor, DESM
Anjni Koul, Professor, DESM
Anup Rajput, Professor, DEE
Arun Pratap Sikarwar, Associate Professor, DESM
Dinesh Kumar, Professor, DESM
Jubilee Padmanabhan, Associate Professor, DESM
L.K. Tiwari, Professor, RIE, Bhopal
Lalmin Kipgen, Assistant Professor, DESM
Munindra Ruwali, Associate Professor, DESM
P.V. Raghavendra, Associate Professor, DESM
Pramila Tanwar, Professor, DESM
Puneet Sharma, Assistant Professor, DEK
Pushpalata Verma, Professor, DESM
R. K. Parashar, Professor, DESM
Rachna Garg, Professor, DESM
Ramavatar Meena, Professor, DESM
Rejaul Karim Barbhuiya, Assistant Professor, CIET
Rishikesh Kumar, Assistant Professor, DESM
Ruchi Verma, Professor, DESM
S.V. Sharma, Professor, DESM
Sudesh Kumar, Associate Professor, DESM
T. P. Sarma, Professor, DESM

Member Coordinators

Sunita Farkya, Professor and Head of Department, DESM
C.V. Shimray, Professor, DESM
Gagan Gupta, Associate Professor, DESM

Translation Support

Sanjeev Kumar, Hindi Officer, Hindi Cell
Manish Siwach, SO, DESM

Support Staff

Preeti Sharma, SRA, DESM
Anita, JPF, DESM
Prabhat Kumar, JPF, DESM

Technical Support

Brijesh, Graphic Designer, DESM
Kunal Rajoria, Graphic Designer, DESM

समीक्षा समिति

अरविंद सी रानाडे, निदेशक, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ)
गांधीनगर, गुजरात
शीर्षेन्दु कुमार मुखर्जी, मिशन निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
नई दिल्ली
राखी चतुर्वेदी, आचार्य एवं अध्यक्ष, बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग विभाग,
आईआईटी गुवाहाटी
सरला सकलानी, विभागाध्यक्ष, औषधि रसायन विभाग,
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
काशीनाथ हिरेमथ, सेवानिवृत्त आचार्य, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
महेश हरिहरन, आचार्य, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,
तिरुवनंतपुरम
अनिता कामरा वर्मा, आचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग, किरोड़ीमल कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
मोनिका कौल, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, हंसराज कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
पूनम शर्मा, आचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग, गार्गी कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
सुनीता मल्होत्रा, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, इग्नू, नई दिल्ली
पूनम अग्रवाल, पूर्व आचार्य, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
वी.पी. सिंह, पूर्व आचार्य, डी.ई.एस.एम
इंद्राणी भादुरी, आचार्य, ईएसडी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
अरविंद माथुर, पूर्व वैज्ञानिक, आरएसएसी-यूपी, लखनऊ
प्रवीण कुमार चौरसिया, आरआईई अजमेर
निधि त्यागी, सहायक प्रोफेसर, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
बी. पी. चमोला, वानिकी विभाग, एचएनबीजीयू, श्रीनगर, गढ़वाल
विवेक मिश्रा, पीजीटी भौतिकी, दिल्ली
शाजी एस., उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक शिक्षा,
तिरुवनंतपुरम, केरल
चंचल सिंघा रॉय, उप निदेशक विज्ञान, शिक्षा सदन
श्री विजया पुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप
विजय जाट, नेस्ट्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय
ई.डी. मधुसूदन रेड्डी, एनसीईआरटी, तेलंगाना, हैदराबाद
संतोष एन. जाधव, एईसीएस-2, हैदराबाद, मुंबई
डी. पी. पटेल, उप आयुक्त (शैक्षणिक), केवीएस मुख्यालय, नई दिल्ली
डॉ. ज्योति अरोड़ा, एनसीईआरटी हरियाणा, गुरुग्राम
अंबालिका दत्ता, उप निदेशक, एनसीईआरटी त्रिपुरा,
स्कूल शिक्षा विभाग
डॉ. एन.वी. नागमणि, प्रोफेसर, एनसीईआरटी, आंध्र प्रदेश
मोनिका डोगरा, शैक्षणिक अधिकारी, एनसीईआरटी, जम्मू
के. के. शुकला, एनसीईआरटी, रायपुर, छत्तीसगढ़
मे. लिंगदोह, समग्र शिक्षा, मेघालय
डॉ. एन. वी. नागमणि, एनसीईआरटी, आंध्र प्रदेश
डॉ. श्वेता सिंह, अपर निदेशक, सीबीएसई, नई दिल्ली
दिव्या शर्मा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राज्य समन्वयक,
एनसीईआरटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश
जियाद अहमद डार, एनसीईआरटी, संभागीय कार्यालय, कश्मीर
रवि कुमार कन्नौजिया, शिक्षा निदेशालय,
विज्ञान शाखा, लाजपत नगर, दिल्ली
डॉ. राजकुमार अवसरे, निदेशक, एसआईएसई, नागपुर
यूसुफ अली, राज्य समन्वयक, लद्दाख
थंकाचन एम.सी., जीएससीईआरटी- गोवा
डॉ. दिलीप रवानी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, रांची, झारखंड
सुनील श्रीवास्तव, आरएसके, भोपाल, मध्य प्रदेश
डॉ. प्रमोद शंकर, एनसीईआरटी, पटना, बिहार
डॉ. ममता दुबे, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

Review Committee

Arvind C. Ranade, Director, National Innovation Foundation,
Gandhinagar, Gujarat
Shirshendu Kumar Mukherjee, Mission Director, Department of
Biotechnology, New Delhi
Rakhi Chaturvedi, Professor and Head, Department of Biosciences and
Bioengineering, IIT Guwahati
Sarla Saklani, Head of the Department, Department of Pharmaceutical
Chemistry, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand
Kashinath Hiremath, Retd. Professor, Goa University, Goa
Mahesh Hariharan, Professor, Indian Institute of Science Education and
Research, Thiruvananthapuram
Anita Kamra Verma, Professor, Department of Zoology, Kirori Mal
College, Delhi University
Monika Koul, Professor, Department of Botany, Hansraj College,
Delhi University
Poonam Sharma, Professor, Department of Zoology, Gargi College,
Delhi University
Sunita Malhotra, Professor, Department of Chemistry, IGNOU, New Delhi
Poonam Agrawal, Former Professor, NCERT, New Delhi
V.P. Singh, Former Professor, DESM
Indrani Bhaduri, Professor, ESD, NCERT, New Delhi
Arvind Mathur, Former Scientist, RSAC-UP, Lucknow
Praveen Kumar Chaurasia, RIE Ajmer
Nidhi Tyagi, Assistant Professor, Shivaji College, Delhi University
B. P. Chamola, Department of Forestry, HNBGU, Srinagar, Garhwal
Vivek Mishra, PGT Physics, Delhi
Shaji S., Deputy Director, O/o Director General of Education,
Thiruvananthapuram, Kerala
Chanchal Singha Roy, Deputy Director of Science, Shiksha Sadan,
Sri Vijaya Puram, A&N Islands
Vijay Jat, NESTS, Ministry of Tribal Affairs
E.D. Madhusudhan Reddy, SCERT, Telangana, Hyderabad
Santosh N. Jadhav, AECS-2, Hyderabad, Mumbai
D. P. Patel, Deputy Commissioner (Acad.), KVS HQs, New Delhi
Dr. Jyoti Arora, SCERT Haryana, Gurugram
Ambalika Datta, Dy. Director, SCERT Tripura,
Department of School Education
Dr. N.V. Nagamani, Professor, SCERT, Andhra Pradesh
Monika Dogra, Academic Officer, SCERT, Jammu
K. K. Shukla, SCERT Raipur, Chhattisgarh
May. Lynrah, Samagra Shiksha, Meghalaya
Dr. N. V. Nagamani, SCERT, Andhra Pradesh
Dr. Sweta Singh, Additional Director, CBSE
Divya Sharma, Lecturer, Chemistry, State Coordinator,
SCERT, Solan, H.P.
Jayaid Ahmad Dar, SCERT Divisional Office, Kashmir
Ravi Kumar Kannaujiya, Directorate of Education,
Science Branch, Lajpat Nagar, Delhi
Dr. Rajkumar Awasare, Director, SISE, Nagpur
Yousuf Ali, State Coordinator, Ladakh
Thankachan M.C., GSCERT, Goa
Dr. Dilip Rawani, D.E.O. Office, Ranchi, Jharkhand
Sunil Shrivastava, RSK Bhopal, Madhya Pradesh
Dr. Pramod Shanker, SCERT Patna, Bihar
Dr. Mamta Dubey, State Institute of Science Education, U.P. Prayagraj

विषय सूची

1 परिचय	1
1.1 प्रयास 2026-27 के तहत अनुसंधान परियोजना का विषय	
1.2 पात्रता मापदंड	
1.3 परियोजना कार्यकाल	
1.4 अनुसंधान अनुदान	
1.5 भूमिका और उत्तरदायित्व	
1.6 प्रयास की महत्वपूर्ण तिथि/समय सीमा	
2. आवेदन प्रक्रिया	6
3. चयन प्रक्रिया	7
3.1 प्रविष्टियों की जाँच	
3.2 साक्षात्कार/प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रण	
3.3 परिणाम की घोषणा	
4. प्रयास योजना का कार्यान्वयन	8
4.1 उत्प्रेरक अनुदान की स्वीकृति	
4.2 चयनित परियोजनाओं के लिए उत्प्रेरक अनुदान जारी करना	
4.3 अनुसंधान का संचालन	
4.4 उत्प्रेरक अनुदान का उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	
4.5 प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना	
4.6 पूर्ण शोधकार्य का प्रस्तुतिकरण	
5. सामान्य नियम और शर्तें	10
5.1 दायित्व और प्रतिबद्धताएं	
5.2 अन्य प्रोत्साहन	
5.3 परियोजना कार्य का प्रकाशन	
5.4 अन्य नियम और शर्तें	
अनुलग्नक-I	13
प्रोमोशन ऑफ रीसर्च एटिट्यूड इन यंग एण्ड एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स, प्रयास योजना, 2026-27 के लिए आवेदन प्रारूप	
अनुलग्नक-II	16
प्रयास विद्यार्थी(यों) द्वारा घोषणा पत्र	
अनुलग्नक-III	17
विद्यालय प्रमुख से अनुमोदन	
अनुलग्नक-IV	18
उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख से अनुमोदन	
अनुलग्नक-V	19
सहमति पत्र	
अनुलग्नक-VI	20
विद्यार्थी स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्ति रसीद	
अनुलग्नक-VII	21
उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप (GFR-12A)	
अनुलग्नक-VIII	23
उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) के प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)	
अनुलग्नक-IX	24
प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप	
अनुलग्नक-X	25
अंतिम शोध रिपोर्ट के लिए प्रारूप	
अनुलग्नक-XI	26
मौलिकता प्रमाणपत्र	
अनुलग्नक-XII	27
PRAYAAS टीम हेतु संवाद प्रपत्र (विद्यार्थी, शिक्षक एवं एचईआई विशेषज्ञ)	

Contents

1. Introduction.....	29
1.1 Area covered for the Project under the PRAYAAS 2026-27	
1.2 Eligibility Criteria	
1.3 Project Tenure	
1.4 Research Grant	
1.5 Roles and Responsibilities	
1.6 Important Dates of the PRAYAAS Scheme	
2. Application Procedure.....	34
3. Selection Procedure.....	35
3.1 Screening of the entries	
3.2 Call for interview and Presentation	
3.3 Declaration of Result	
4. Implementation of PRAYAAS Scheme	36
4.1 Acceptance of Catalytic Grant	
4.2 Release of Catalytic Grant for Selected Projects	
4.3 Conducting Research	
4.4 Use of catalytic Grant and submission of utilization certificate	
4.5 Submission of Progress Report	
4.6 Submission of Final Technical Report	
5. General Terms and conditions	38
5.1 Obligations and commitments	
5.2 Further Motivations	
5.3 Publication of Project Work	
5.4 Other terms and conditions	
Annexure-I.....	41
Application Proforma for Promotion of Research Attitude in Young And Aspiring Students PRAYAAS Scheme, 2026-27	
Annexure-II	44
Declaration by PRAYAAS Student(s)	
Annexure-III	45
Endorsement From School Head	
Annexure-IV	46
Endorsement From Head of Higher Educational Institutions (HEIs)	
Annexure-V	47
Consent Form	
Annexure-VI.....	48
Student acknowledgement & receipt of Financial assistance	
Annexure-VII	49
Proforma for Utilisation Certificate (JFR 12)	
Annexure-VIII.....	51
No Objection Certificate (NOC) from Head of the Higher Educational Institutes	
Annexure-IX.....	52
Format for the Progress Report	
Annexure-X.....	53
Format for final technical report	
Annexure-XI.....	54
Certificate of Originality	
Annexure-XII	55
Interaction Proforma for PRAYAAS Team (Student, Teacher and HEI Expert)	

प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटिट्यूड इन यंग एंड एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स, प्रयास योजना, 2026-27

1. परिचय

एक शिक्षार्थी का युवा मन जिज्ञासा और रचनात्मक कल्पना से भरा होता है। किसी शिक्षार्थी के लिए वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में उसका जिज्ञासु होना और रचनात्मक संकल्पनाओं जैसे विलक्षण गुणों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी के रचनात्मक कौशल का उपयोग सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में किया जा सकता है। उन्हे सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और नए ज्ञान क्षेत्र बनाने का अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) शिक्षार्थियों को मौलिक विचारों के लिए प्रोत्साहित करने, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस प्रकार, इन नवाचारी युवा मस्तिष्कों को पोषित करने के लिए विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (डीईएसएम) एनसीईआरटी द्वारा विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए प्रयास योजना (प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटिट्यूड इन यंग एंड एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स) की परिकल्पना की गई है।

यह कार्यक्रम युवा शिक्षार्थियों की सृजनशीलता को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों तथा कल्पनाओं में स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) शिक्षा के महत्व को दैनिक जीवन में महसूस करने और पहचानने का तथा उनकी रचनात्मकताओं को प्रोत्साहन के अवसर प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम प्रयास से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैज्ञानिक क्षमता प्रदर्शित करने में भी मदद मिलेगी। इस संदर्भ में, यह परिकल्पना की गई है कि शिक्षार्थी अपने विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के परामर्श एवं विश्वविद्यालय, कॉलेज, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों उद्योगों की अनुसन्धान एवं विकास प्रयोगशाला (एचईआई) आदि के विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करेंगे व चयनित होने की स्थिति में इस परियोजना

के द्वारा स्टीम शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच के साथ एक नेक उद्देश्य के लिए अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए नए विचार विकसित होंगे। इस कार्यक्रम द्वारा शिक्षार्थियों और शिक्षकों को यह पता लगाने और नई परिकल्पनाओं/विचारों पर अन्वेषण करने के लिए उन्मुखी बनाया जाएगा कि ये नवाचार द्वारा कहां और कैसे स्थानीय या वैश्विक समकालीन चुनौतियों का बेहतर समाधान ला सकते हैं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को नवाचारी तरीकों से वैज्ञानिक संकल्पनाओं को सीखने और उनके समग्र विकास में मदद करेगा।

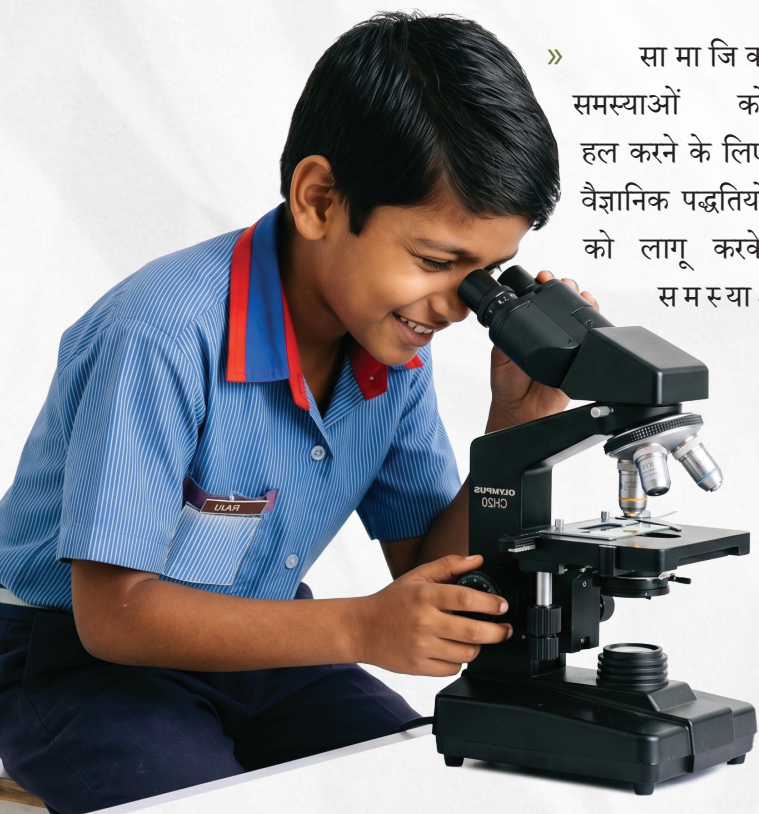
प्रयास योजना, एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विद्यालय के शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक पद्धति और प्रयोगों से परिचित कराकर अनुसंधान और जांच करने का अवसर देना है ताकि वे वैज्ञानिक पद्धति और प्रयोग से परिचित हो सकें। इस कार्यक्रम की एक और अनूठी विशेषता विद्यालय शिक्षा और एचईआई के बीच संबंध बनाना और शिक्षार्थी, विद्यालय शिक्षक और एचईआई के विशेषज्ञ के बीच सीखने और सिखाने के संबंध को अनुकूलित करना है। यह योजना नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की भावनाओं के अनुरूप है तथा समुदायों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्ष्य-आधारित चिंतन, रचनात्मकता और नवीनता, लॉजिकल तर्क और समस्या-समाधान पर केंद्रित है। यह 'अनुभवजन्य अधिगम' पर भी ध्यान केंद्रित करता है जब शिक्षार्थी एक संकल्पना को सीखने में सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अंतर्निहित होता है। प्रयास योजना, शिक्षार्थियों के सीखने के दायरे को विस्तार देने के लिए एक आवश्यक और सकारात्मक प्रोत्साहन है।

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टीम) के क्षेत्रों में

कला को एकीकृत करते हुए किसी भी मूल विचार को पोषित करने के लिए उत्प्रेरक अनुदान प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना और विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान एक एकीकृत कार्यक्रम है, जिसमें विद्यालय के शिक्षार्थी अपने विज्ञान शिक्षक के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान के किसी भी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में कार्य कर सकेंगे। यह भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के नवोदित वैज्ञानिकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- » विद्यालय में शिक्षार्थियों को अनुसंधान और अन्वेषण करने के लिए विज्ञान प्रक्रिया कौशलों में उन्मुख करना।
- » युवा शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना और साक्ष्य-आधारित विज्ञान प्रक्रिया कौशल, नवीनता और रचनात्मकता का समावेश करना।
- » व्यक्तिगत रूप से या समूहों में अनुसंधान और खोज करने के लिए युवा शिक्षार्थियों के बीच क्षमताओं को विकसित करना।

» सा मा जि क समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू करके समस्या -



समाधानकर्ता के रूप में उभरने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करना।

- » शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक सोच व कौशल को विकसित करने के लिये सीखने की उच्चतम सीमा तक लाभान्वित करने के लिए विद्यालय के साथ उच्च शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करना।
- » विज्ञान प्रक्रिया को लागू करने वाले शिक्षार्थियों में उद्यमशीलता की क्षमता का विकास करना।

1.1 प्रयास 2026-27 के तहत अनुसंधान परियोजना का विषय

प्रयास के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली परियोजना प्रस्ताव पूर्णतः मौलिक एवं साहित्यिक चोरी से मुक्त एवं किसी अन्य वित्तपोषण एजेंसी की किसी योजना, कार्यक्रम या पहल के अंतर्गत समर्थित नहीं होनी चाहिए। परियोजना प्रस्ताव किसी अन्य स्थान पर प्रस्तुत की गई परियोजना की प्रतिलिपि, संशोधित रूप या उस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह विद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव मौलिक हो तथा उन्हें एक से अधिक योजनाओं या कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया हो। प्रयास (2026-27) मूल वैज्ञानिक विचारों पर अनुसंधान/अन्वेषण करने के लिए परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है जैसे कि;

- » किसी स्थानीय समस्या की पहचान और उसका अध्ययन करना
- » किसी स्थानीय समस्या के पीछे वैज्ञानिक कारण की जांच करना
- » किसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजना
- » किसी भी विचार, कल्पना या अवधारणा, जो वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करें उस पर शोध कार्य करना

प्रयास योजना के अंतर्गत विद्यालय के शिक्षार्थियों और विद्यालय शिक्षक के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के

एक विशेषज्ञ की सहायता से किसी स्थानीय समस्या को हल करने या उसकी जांच करने और उसके अनुसंधान-आधारित समाधान या किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विज्ञान सीखने या पर्यावरण को संरक्षित करने आदि में योगदान देने पर शोध कार्य कर सकेंगे।

एचईआई से एक विशेषज्ञ के सहयोग से विभिन्न कक्षाओं के अधिकतम दो विद्यार्थी (उदाहरणार्थ, कक्षा 10 या 11 का एक विद्यार्थी तथा कक्षा 8 या 9 का एक अन्य विद्यार्थी) और एक शिक्षक इस परियोजना प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रयास छात्र, शिक्षक के परामर्श से विभिन्न शोध क्षेत्रों में से किसी एक मौलिक विचार (जैसा कि अनुभाग 1.1 में विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है) का चयन करेगा। विद्यालय प्रमुख को विद्यार्थी-विद्यार्थी एवं विद्यार्थी-शिक्षक की किसी एक नजदीकी उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) के विशेषज्ञ के साथ सामंजस्य बनाने की सुविधा प्रदान करनी होगी। विद्यालय के पास के (एचईआई) का एक विशेषज्ञ शोध के लिए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने में सहायता प्रदान करने के लिए संलग्न किया जा सकता है। एचईआई के संकाय/विशेषज्ञ और विद्यालय शिक्षक सभी विस्तृत चरणों के बारे में प्रयास शिक्षार्थियों को समय-समय पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं

1.2 पात्रता मापदंड

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्रता मापदंड निम्नानुसार हैं: शिक्षार्थियों के लिए:

- » शिक्षार्थी को आठवीं से ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए।
- » सभी विद्यालयों के शिक्षार्थी प्रयास में भाग लेने के पात्र हैं।
- » एक शिक्षार्थी या अधिकतम दो शिक्षार्थियों का समूह, के साथ उनके विद्यालय के एक शिक्षक और किसी एचईआई (अनुलग्नक में सूचीबद्ध) के एक विशेषज्ञ के साथ हिस्सा लेने के पात्र हैं और उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- » विद्यालय प्रमुख द्वारा इस योजना के अंतर्गत केवल एक ही परियोजना प्रस्ताव अग्रेषित किया जाना चाहिए। यदि कोई विद्यालय एक से अधिक परियोजना प्रस्ताव अग्रेषित करता है, तो उसके सभी प्रस्ताव बिना किसी विचार-विमर्श के निरस्त कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शिक्षकों के लिए:

अर्हताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)/ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) विद्यालयों में कक्षा आठवीं से ग्यारहवीं तक विज्ञान/भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित और जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वे योजना में शिक्षार्थियों के प्रयास मार्गदर्शक शिक्षक बनने के पात्र हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञ के लिए:

एचईआई (अनुलग्नक-I, भाग अ-क्र.स. 4 में सूचीबद्ध) में सेवारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी विषय के संकाय सदस्य एक प्रयास विशेषज्ञ बनने के पात्र हैं।

1.3 परियोजना कार्यकाल

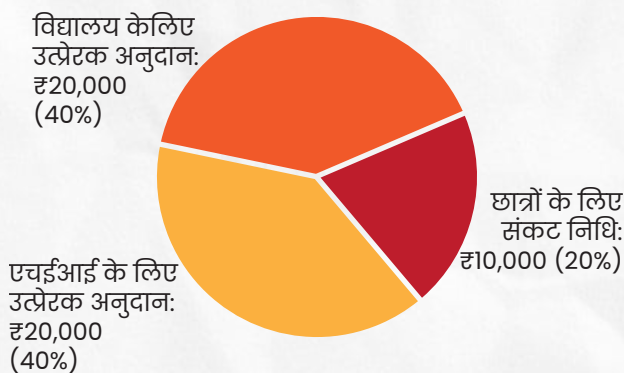
परियोजना की अवधि परियोजना की समाप्ति तक विद्यालय में परियोजना के शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए है। प्रयास 2026-27 के लिए कार्यकाल का अस्थायी समय 1 सितम्बर 2026 से शुरू होकर 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। विद्यालय के प्रमुख और एचईआई से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुमानित समय और कार्यकाल में परियोजना को शुरू करने की अनुमति दें और सुविधा प्रदान करें। विद्यालय के शिक्षार्थियों द्वारा किया जाने वाला शोध कार्य एनसीईआरटी की वेबसाइट पर डाला जा सकता है।

1.4 अनुसंधान अनुदान

प्रत्येक चयनित शोध प्रस्ताव के लिए कुल रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का उत्प्रेरक अनुदान दिया जाएगा। इस राशि में से रु.10,000/- मात्र शिक्षार्थी को (दो शिक्षार्थियों में प्रत्येक को रु. 5,000/-) प्रदान किए जाएंगे और रु. 20,000/- उत्प्रेरक अनुदान के रूप में शिक्षार्थियों को शोध कार्य करने में सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यालय को और रु. 20,000/- एचईआई के खाते में प्रयास विशेषज्ञ के लिए दिया जाएगा।

शिक्षार्थियों / विद्यालय /उच्च शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ को दो किशतों में जारी किया जाएगा। अनुदान की पहली किशत (राशि का आधा) परिणाम घोषित होने के एक महीने के भीतर सीधे विद्यालय और एचईआई के बैंक खातों में स्थानांतरित

कर दी जाएगी। विद्यालय प्रयास शिक्षार्थियों को जारी अनुदान वितरित करेगा। छः माह के बाद संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर ही द्वितीय किशत जारी की जायेगी। अनुदान राशि एक समान होगी, चाहे परियोजना नवाचार/विनिर्माण या ज्ञान-आधारित प्रयासों पर केंद्रित हो, क्योंकि यह सभी परियोजनाओं के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करता है। उत्प्रेरक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।



उत्प्रेरक अनुदान का छात्र, शिक्षक एवं एचईआई विशेषज्ञ में वितरण

1.5 भूमिका और उत्तरदायित्व

इस परियोजना में, विद्यालय के एक विज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थियों की पूरे कार्यकाल दौरान उनके शोध में मार्गदर्शन और अधीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। विद्यालयों के नजदीक स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के विज्ञान विशेषज्ञ भी शिक्षार्थियों को अधिक तकनीकी और प्रायोगिक मार्गदर्शन देने और प्रयोगशाला उपकरणों और तकनीकों के साथ सुचारू रूप से काम करने की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में शामिल होंगे।

प्रयास शिक्षक और शिक्षार्थी प्रयास विशेषज्ञ के परामर्श से खंड 1.1 में दिए गए विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में से किसी एक मूल विचार का चयन करेंगे।

एक से अधिक छात्रों को शामिल करने वाली परियोजनाओं में जिम्मेदारियों का स्पष्ट और समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, शिक्षार्थियों के समूह में प्रत्येक सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियाँ (जैसे फील्ड वर्क, डेटा संग्रह, विश्लेषण, प्रलेखन या प्रोटोटाइप विकास) का संक्षिप्त विवरण देना होगा।

विद्यालयों को कक्षा 8 से 11 तक के शिक्षार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, छोटी कक्षाओं के शिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थी एक-दूसरे से सीख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह छात्रों के स्थानांतरण से जुड़ी समस्या का भी समाधान करेगा, क्योंकि यदि दो छात्रों में से कोई एक दूसरे विद्यालय में चला जाता है, तो दूसरा छात्र प्रयास परियोजना को जारी रख सकेगा।

विद्यालयों की भूमिका चयनित प्रस्ताव पर अनुसंधान के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शोध परियोजना प्रस्ताव के संबंध में शिक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन और संचार का प्राथमिक स्रोत होगा। विद्यालयों को प्रयास शिक्षार्थियों, प्रयास शिक्षक और उच्च शिक्षा संस्थान के प्रयास विशेषज्ञ के साथ मिलकर एक समूह बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए विद्यालय के नजदीक स्थित एचईआई के एक विशेषज्ञ को शामिल किया जा सकता है। अनुसंधान समूह के सभी सदस्यों को एक समूह सदस्य के रूप में अपनी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समझने की आवश्यकता है। एचईआई के विशेषज्ञ को इस परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक विषय और कौशल का ज्ञान प्रदान करना है। प्रयास के अध्येता शिक्षार्थियों को सर्वेक्षण के दौरान बेहतर काम करने और अनुसंधान में त्रुटियों से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक व विशेषज्ञ ऐसे शिक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार मदद करेंगे। विद्यालय को शिक्षार्थियों की उपस्थिति और कार्य घंटों का रिकार्ड रखना होगा तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उसे भेजना होगा।

प्रयास के बारे में शिक्षार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, विद्यालय विशेष प्रयत्न कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा।

प्रयास शिक्षार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना लागू करने के लिए अ) प्रयोगों की योजना बनाकर प्रयास शिक्षक और उच्च शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ से चर्चा करके परीक्षण व अन्वेषण करके उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। ब) उन्हें उचित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, विज्ञान प्रक्रिया कौशल जैसे अवलोकन करना, रिपोर्ट करना और अवलोकन रिकॉर्ड करना, डेटा का विश्लेषण करना, अनुमान

लगाना, परिणामों का निष्कर्ष निकालना और अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से परिणामों पर चर्चा करना, उनका प्रयोग करना या खोज करना है। आवश्यकता के अनुसार शिक्षार्थी डेटा संग्रह और खोज के लिए फील्ड सर्वेक्षण पर जा सकते हैं।

प्रयास मार्गदर्शक शिक्षक प्रयास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना से संबंधित प्रयोगों/अन्वेषण की योजना बनाने में संलग्न प्रयास शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। शिक्षकों को उचित वैज्ञानिक प्रक्रिया और विज्ञान प्रक्रिया कौशल के लिए प्रयास शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना आवश्यक है। वे डेटा विश्लेषण और इसके अनुप्रयुक्त पहलुओं के लिए अनुसंधान का अनुमान लगाने और निष्कर्ष निकालने में भी उनकी मदद कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञ इस अवधारणा के अग्रिम विस्तार व त्रुटि मुक्त अनुसंधान और सटीकता के साथ अन्वेषण आदि के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि प्रयास शिक्षार्थियों और प्रयास शिक्षक को अधिक तकनीकी युक्त प्रयोगशाला उपकरणों के साथ कार्य करने की सुविधा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

विद्यालय प्रमुख से उम्मीद की जाती है कि वे एचईआई से संपर्क कर उनके सहयोग से विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण और सीखने-सिखाने के संबंधों को सुगम बनाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

एचईआई विशेषज्ञ को परियोजना के दौरान कम से कम तीन बार मार्गदर्शन सत्र आयोजित करने होंगे —परियोजना को अंतिम रूप देने के समय, मध्यावधि समीक्षा के दौरान तथा अंतिम समीक्षा से पहले, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। इन सत्रों का विवरण (तिथि, माध्यम तथा दी गई सलाह/मार्गदर्शन सहित - अनुलग्नक-XI) एक पृष्ठ के मेंटरशिप इंटरैक्शन लॉग में दर्ज करना होगा। इस लॉग को प्रगति रिपोर्ट के साथ संलग्न करना होगा तथा उस पर एचईआई विशेषज्ञ के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।

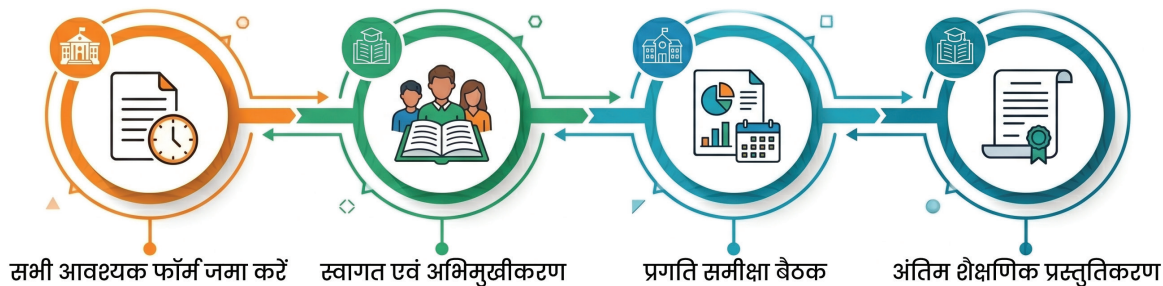
उच्च शिक्षा संस्थान प्रयास शिक्षार्थियों को उनके संस्थानों में बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करेंगे।

परिणामों की घोषणा
31 जुलाई 2026

परियोजना का प्रारंभ
05 सितंबर 2026

परियोजना की समाप्ति
31 अगस्त 2027

रिपोर्ट प्रस्तुत करना
15 सितंबर 2027



1.6 प्रयास की महत्वपूर्ण अनुमानित तिथियां/समय सीमा

- प्रयास योजना के घोषणा की तिथि:
22 जून 2026
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:
31 जुलाई 2026
- परियोजना प्रस्ताव के लिए आवेदनों की छानबीन:
10 अगस्त 2026
- परियोजना प्रस्ताव की जूरी द्वारा समीक्षा और चयनसीमा:
25 अगस्त 2026
- परिणामों की घोषणा:
31 अगस्त 2026
- परियोजना का प्रारंभ:
05 सितम्बर 2026
- प्रगति रिपोर्ट (परियोजना के शुरू होने की तारीख के चार महीने बाद) परियोजना की समाप्ति:
31 अगस्त 2027
- रिपोर्ट प्रस्तुत करना:
15 सितम्बर 2027

*अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. आवेदन प्रक्रिया

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा प्रयास योजना, 2026-27, के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। संबंधित जानकारी एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदकों को अपना आवेदन और परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में [prayaas2526@](mailto:prayaas2526@gmail.com)

[gmail.com](mailto:prayaas2526@gmail.com) ईमेल आईडी पर ऑनलाइन भेजना आवश्यक है (कृपया अनुलग्नक-I देखें)। आवेदन भेजने का प्रारूप एचटीएमएल और पीडीएफ क्रमशः अनुलग्नक-I में दिया गया है (प्रोजेक्ट जमा करने से पहले एनसीईआरटी वेबसाइट पर उपलब्ध पूरी चेकलिस्ट देखें)। जो शिक्षार्थी आवेदन भरने के इच्छुक हैं, वे एचटीएमएल प्रारूप डाउनलोड करने के बाद टाइप करके प्रविष्टियां भरें या पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन पत्र डाउनलोड कर स्पष्ट हस्तलिखित प्रविष्टियां भरकर विद्यालय प्रमुख के मोहर के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित कराकर जमा कराये। विधिवत् टाइप किये गए और भरे गए आवेदन पत्र को स्कैन करके prayaas2526@gmail.com पर भेजें।

1. प्रयास प्रस्ताव विकसित करते समय दिशानिर्देशों में दिए गए उचित वैज्ञानिक सिद्धांतों/तरीकों का पालन किया जाना चाहिए।
2. अनुसंधान प्रस्ताव स्पष्ट रूप से लक्ष्य, सिद्धांत, आवश्यक सामग्री और उपकरण (अनुमानित), अनुसंधान पद्धति को बताते हुए होना चाहिए, जो अनुसंधान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुसरित की जाएगी (अनुलग्नक-I में शोध का प्रारूप दिया गया है)।
3. प्रिंट करके भरा हुआ अनापत्ति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-IV और V) स्कैन करके और फिर ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि दो शिक्षार्थी एक समूह के रूप में भाग ले

रहे हैं, तो समूह के दोनों शिक्षार्थियों के लिए अनुलग्नक-IV और V को व्यक्तिगत रूप से भरने की आवश्यकता है।

4. उच्च शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ को अपने संस्थान के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. चयन प्रक्रिया

3.1 प्रविष्टियों की जांच

प्रविष्टियां प्राप्त होने के बाद, अनुसंधान प्रस्तावों की जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाएगी, जांच प्रक्रिया एनसीईआरटी द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर आधारित होगी जो निम्नानुसार हैं:

1. अनुसंधान प्रस्ताव की मौलिकता (20%)
2. वैज्ञानिक विचार/सिद्धांत (10%)
3. अनुसंधान करने के लिए अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति (10%)
4. प्रस्तावित परियोजना के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने या सामाजिक समस्याओं का हल निकालने के लिए अनुसंधान की प्रासंगिकता (20%)
5. पर्यावरणीय प्रभावकारिता और सतत्ता (20%)
6. प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना और लेख की व्याख्या और स्पष्टता (20%)

नोट: एनसीईआरटी के पास ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियां और दिव्यांग शिक्षार्थियों से प्रविष्टियां शामिल करने के लिए मापदंड में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

ऊपर सुझाए गए मापदंडों के आधार पर, प्रयास योजना के तहत चयन के अगले दौर के लिए प्रविष्टियों को विचारार्थ सूचीबद्ध किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल पात्रता मापदंडों को पूरा करने से आवेदक अगले दौर के लिए चुने

जाने के हकदार नहीं होंगे। साक्षात्कार/प्रस्तुति के लिए किसी अभ्यर्थी को बुलाने या न बुलाने का अधिकार एनसीईआरटी के पास सुरक्षित है।

3.2 साक्षात्कार/प्रस्तुतिकरण के लिए बुलावा

चयनित की गई प्रविष्टियों के लिए संबंधित शिक्षार्थियों और शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। शोध प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रस्तुतियों के लिए आवश्यकताओं का प्रबंधन संबंधित विद्यालय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर किया जाना चाहिए। साक्षात्कार में सभी छात्र, शिक्षक और उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साक्षात्कार सह प्रस्तुति की तारीख से पहले जमा किया जाना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) की प्रारंभिक स्लाइड में छात्र का नाम, संबद्ध विद्यालय और एचईआई का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसमें शिक्षार्थियों और शिक्षकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने परियोजना प्रस्ताव को समझाते हुए पांच से सात मिनट की प्रस्तुति दें। पीपीटी और चार्ट आदि की मदद से प्रस्तुति दी जा सकती है। प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षार्थियों की विषय की स्पष्टता को समझने के लिए जूरी द्वारा मौखिक चर्चा/मूल्यांकन किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तुति का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा:

1. शोध प्रस्ताव के बारे में विचार की मौलिकता (20%)
2. अनुसंधान के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत की स्पष्टता (10%)
3. अनुसंधान करने के लिए पालन की जाने वाली वैज्ञानिक पद्धति की स्पष्टता (10%)
4. समाज के लिए प्रस्तावित अनुसंधान की प्रासंगिकता और व्यावहारिक प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता (20%)
5. पर्यावरणीय स्थिरता और प्रभावकारिता के बारे में स्पष्टता (20%)

6. प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना की मौखिक प्रस्तुति और स्पष्टीकरण (20%)

3.3 परिणाम की घोषणा

एनसीईआरटी की वेबसाइट पर प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के कुछ समय बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। एनसीईआरटी की प्रयास योजना के तहत उत्प्रेरक अनुदान के लिए इस वर्ष 40 शोध प्रस्तावों जिनमें से 20 ग्रामीण पिछड़े इलाकों के विद्यालयों, जिनमें से 50% सरकारी 50% गैर सरकारी विद्यालयों तथा 20 शहरी इलाकों के विद्यालयों, जिनमें से 50% सरकारी 50% गैर सरकारी विद्यालयों पर विचार कर उनका चयन किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए चयनित शिक्षार्थियों, प्रयास शिक्षक, विद्यालय प्रमुख, एचईआई से विशेषज्ञ, संबंधित राज्य एनसीईआरटी, डाइट और डीओई और उनके सुविधा देने वाले विद्यालय और एचईआई प्रशासन को ई-मेल तथा नोटिस पत्र भारतीय डाक सेवा द्वारा अधिसूचना भेजी जाएगी।

4. प्रयास योजना का कार्यान्वयन

चयनित प्रयास शिक्षार्थियों, प्रयास शिक्षक व प्रयास विशेषज्ञ को नामांकित किया जाएगा और प्रयास शिक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करने वाले विद्यालयों और एचईआई को उत्प्रेरक अनुदान जारी किया जाएगा।

4.1 उत्प्रेरक अनुदान की स्वीकृति

प्रयास योजना के तहत चयनित आवेदकों को उत्प्रेरक अनुदान एक औपचारिक पत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसमें उत्प्रेरक अनुदान और इसे इस्तेमाल करने वाली नियमों व शर्तों का विवरण होगा। अवार्ड पत्र में उल्लेखित अंतिम तिथि के भीतर प्रस्ताव का तुरंत लाभ उठाया जाना चाहिए और स्वीकृति पत्र विद्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रयास योजना prayaas2526@gmail.com की मेल आईडी पर भेज दिया जाना चाहिए।

4.2 चयनित परियोजनाओं के लिए उत्प्रेरक अनुदान जारी करना

अ.) जिस विद्यालय/संस्था के पक्ष में उत्प्रेरक अनुदान जारी किया जाना है, उसके प्राचार्य/प्रमुख द्वारा विधिवत अंग्रेषित विद्यालय/संस्था के माध्यम से अवार्ड पत्र में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, उत्प्रेरक अनुदान की पहली किस्त जारी की जाएगी।

ब.) अनुदान राशि का भुगतान डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड से किया जाएगा जबकि वार्षिक उत्प्रेरक अनुदान का भुगतान संबंधित विद्यालय और एचईआई प्रशासन को किया जाएगा।

स.) उत्प्रेरक अनुदान की बची हुई किस्त की राशि विद्यालय प्रमुख और उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

द.) विद्यालय प्रमुख को PRAYAAS परियोजना से जुड़े शिक्षार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही, विशेषज्ञ से समन्वय करके शिक्षार्थियों और शिक्षकों की संबंधित एचईआई में आवश्यक शैक्षणिक/मार्गदर्शन संबंधी यात्राओं की व्यवस्था भी करनी होगी।

4.3 अनुसंधान का संचालन

स्वीकृति पत्र के तुरंत बाद, प्रयास शिक्षार्थी प्रस्तावित परियोजना पर कार्य शुरू कर सकती/सकता है। उन्हें अनुदान जारी होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। पहली किस्त समय पर जारी कर दी जाएगी। प्रयास शिक्षार्थी, प्रयास मार्गदर्शक शिक्षक और एचईआई के प्रयास विशेषज्ञ के सहयोग से कार्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना बना सकते हैं। वे प्रति सप्ताह न्यूनतम 5 से 7 घंटे का उपयोग परियोजना हेतु कर सकते हैं। एचईआई प्रयोगशाला में काम करने के लिए वे 10 बैगलेस दिन, सर्दी और गर्मी की छुट्टी आदि का भी उपयोग कर सकते हैं।

4.4 उत्प्रेरक अनुदान का उपयोग और

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान की गयी उत्प्रेरक अनुदान का उपयोग परियोजना कार्य के लिए विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। इस अनुदान

के एक भाग का उपयोग अनुसंधान कार्य से संबंधित पुस्तकें खरीदने, डेटा संग्रहण के लिए यात्रा व्यय तथा गैर-विषैले रसायन, कांच के प्रयोगशाला सम्बन्धित सामान, विज्ञान किट आदि की खरीद के लिए किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाए कि उत्प्रेरक अनुदान का उपयोग वैज्ञानिक संघ और संगठनों की सदस्यता लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक बार खरीदी गई गैर उपभोज्य वस्तु परियोजना के पूरा होने के बाद सम्बन्धित प्रयोगशाला की संपत्ति होगी।

प्रयास परियोजना के अंतर्गत उपयोग किए गए उत्प्रेरक अनुदान का विवरण विद्यालय के विज्ञान शिक्षक तथा एचईआई के विशेषज्ञ द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र विद्यालय प्रमुख और एचईआई प्रमुख से सत्यापित/हस्ताक्षरित होना चाहिए। साथ ही, विद्यालय प्रमुख को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रयास परियोजना के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार किया गया है। इसका प्रारूप परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

प्रयास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल राशि के लिए दोनों किशोरों के उत्प्रेरक अनुदान राशी का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आंशिक राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जाता है, तो शेष अप्रयुक्त राशि यूनिक ट्रांज़ैक्शन रेफरेंस (यूटीआर) के साथ एनसीआरटी को वापस करनी होगी।

उत्प्रेरक अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए, ताकि सभी औपचारिकताएँ समय पर पूरी हो सकें और अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। यूसी का समय पर प्रस्तुतिकरण योजना से संबंधित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यूसी जमा करने में देरी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित जीएफआर-12 प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप अनुलग्नक-VII में दिया गया है। कृपया इसे डाउनलोड कर भरें तथा विद्यालय और एचईआई के लिए अलग-अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे।

पहली किशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने के बाद ही दूसरी किशत जारी की जाएगी।

जिस एचईआई को वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसे निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VIII) में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि वह प्रयास परियोजना के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहयोग बिना किसी वित्तीय सहायता के उपलब्ध कराएगा।

4.5 प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना

शिक्षार्थी द्वारा किए गए शोध कार्य पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करना शिक्षार्थी के कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा होगा। शिक्षार्थी हर चार महीने के बाद निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-IX) में अपनी शोध प्रगति रिपोर्ट जमा करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक टीम परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर सकती है और प्रयास टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ दो ऑनलाइन और एक ऑफ़लाइन औपचारिक संवाद की अवधि तय कर सकती है। ऑफ़लाइन बैठक प्रयास टीम के कार्यस्थल पर या तो विद्यालय में या टीम की सुविधा के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान में की जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा प्रयास टीम को फीडबैक और सुझाव दिया जाएगा और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रयास टीम को बताया जाएगा। वर्तमान में जारी शोध के बारे में नवीनतम जानकारी देना आवश्यक है। परिणामों को तालिका/आंकड़ों में मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उद्देश्यों के संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिए और निकाले गए निष्कर्ष भी दिए जाने चाहिए। खंडित या आंशिक या अधूरी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रयास गाइड/शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में शोध कार्य करने में प्रयास शिक्षार्थी की मौलिकता और पहल की हिस्सेदारी को सामने लाएंगे। प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक-IX में दिया गया है। हालाँकि विद्यालय प्रमुख को प्रयास शिक्षार्थी द्वारा धन के उपयोग को प्रमाणित करना होगा।

4.6 पूर्ण शोधकार्य का प्रस्तुतिकरण

पूर्णशोध दस्तावेज शिक्षार्थियों के लिए उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और शोध को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, दस्तावेज को प्रस्तुत करने योग्य और अनुशासित

तरीके से लिखना महत्वपूर्ण है। यह भविष्य में पाठक के लिए परिणाम को और अधिक सुगम बना देगा। शोध दस्तावेज लिखने के लिए निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-X में दिया गया है। परियोजना के तहत दिया गया शोध कार्य निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। अंतिम शोध रिपोर्ट में एनसीईआरटी से शोध के लिए वित्तीय सहायता को विधिवत स्वीकृतिकरण दिया जाना चाहिए। परियोजना की समय सीमा पूरी होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम शोध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। शोध कार्य प्रस्तुत करने के साथ अनुसंधान कार्य और शोध की मौलिकता के लिए घोषणा (अनुलग्नक-II व अनुलग्नक-XI) प्रारूप भरकर जमा करना होगा। विद्यालय प्रमुख और एचईआई प्रयास विशेषज्ञ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति रिकॉर्ड रिपोर्ट के साथ होना चाहिए।

विद्यालयों को मध्यावधि और अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले प्लेजरिज्म जांच करनी होगी ताकि शैक्षणिक ईमानदारी सुनिश्चित हो सके, शिक्षार्थियों को सही ढंग से संदर्भ देने और श्रेय देने का तरीका सिखाया जा सके, और उनके प्रोजेक्ट पेपर्स को शिक्षक/एचईआई विशेषज्ञ की मदद से प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करें।

सभी फोटोग्राफ, वीडियो तथा पूरी हुई परियोजना की रिपोर्ट, परियोजना आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

असफलताओं से सीख को संस्थागत बनाना: अंतिम परियोजना रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से एक संक्षिप्त अनुभाग शामिल होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों—

- समस्या निवारण (ट्रबलशूटिंग)
- क्या अपेक्षा के अनुसार काम नहीं किया
- संभावित कारण
- सीख और भविष्य की दिशा

यह दृष्टिकोण जोखिम लेने, रचनात्मकता और वास्तविक वैज्ञानिक अभ्यास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान को केवल सफलता-आधारित मॉडल के रूप में प्रस्तुत न किया जाए।

5. सामान्य नियम और शर्तें

5.1 दायित्व और प्रतिबद्धताएं

प्रयास शिक्षार्थी :

1. जब कोई शिक्षार्थी परियोजना को स्वीकार कर लेती/लेता है और उसमें शामिल हो जाती/जाते है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपना शोध कार्य, परियोजना की अवधि तक जारी रखें।
2. प्रत्येक प्रयास शिक्षार्थी को अपने माता-पिता/अभिभावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति फॉर्म और विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र भरना होगा।
3. परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति और टीम के द्वारा कार्य शुरू होने के बाद कोई भी शिक्षार्थी एनसीईआरटी की पूर्व अनुमोदन के बिना परियोजना बंद नहीं करेगी/करेगा। यदि कोई शिक्षार्थी अनुसंधान के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति पर कार्यकाल पूरा होने से पहले परियोजना को बंद करना चाहती/चाहता है, तो उसे परियोजना को जारी नहीं रखने के विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विद्यालय के माध्यम से एक महीने पहले एनसीईआरटी को पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट उत्प्रेरक अनुदान त्यागपत्र को प्रयास टीम द्वारा दिए गए विशिष्ट उल्लेखित कारणों के मद्देनजर एनसीईआरटी द्वारा एक पत्र जारी करके निर्धारित तिथि पर समाप्त कर दिया जाएगा।
4. शिक्षार्थियों को एक अलग नोटबुक में अपने शोध टिप्पणियों का दैनिक रिकॉर्ड रखना चाहिए।
5. शिक्षार्थियों को परियोजना से संबंधित अपने दैनिक-खर्चों को लिखने के लिए एक डायरी भी रखनी चाहिए।
6. शोध अध्ययन की अवधि के दौरान, शिक्षार्थी केवल विद्यालय के प्रमुख के अनुमोदन से एनसीईआरटी के साथ पत्राचार करेगी/करेगा।

प्रयास शिक्षक:

1. विद्यालयों को शिक्षार्थियों द्वारा उनके कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संबंधित विषय के एक शिक्षक का नाम शोध परियोजना आवेदन देते समय प्रस्तावित करना चाहिये।

2. प्रयास शिक्षक, प्रयास शिक्षार्थियों का एक उपस्थिति रजिस्टर बनाएं।
3. विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस शोध पर काम करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर की गतिविधि के रूप में समय मिले या सभी सुरक्षा और सावधानियों के साथ इस परियोजना पर काम करने के लिए एचईआई की प्रयोगशालाओं में अतिरिक्त समय अवधि भी मिल सके। प्रयास शिक्षक किसी भी तरह की शोध गतिविधि करवाते समय प्रयास विद्यार्थियों के सुरक्षा व सावधानी बरतने के लिए मार्गदर्शन दें।
4. एचईआई में शिक्षार्थियों के दौरे या परियोजना से संबंधित किसी अन्य दौरे के दौरान, शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ जा सकते हैं।
5. परियोजना की अवधि के अंत में, शिक्षकों को शोध कार्य में उनके योगदान के लिए एनसीईआरटी से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा संस्थान के प्रयास विशेषज्ञ:

1. उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को अपने संस्थान से किसी भी विज्ञान या गणित विषय के एक संकाय सदस्य/ विशेषज्ञ को शिक्षार्थियों के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो आवेदन के समय ही प्रस्तावित किया जाना चाहिये।
2. इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थान के संकाय सदस्य / विशेषज्ञ अपनी लैब या संस्था की किसी भी लैब का उपयोग कर सकता है।
3. विशेषज्ञ शिक्षार्थियों को अनुसंधान से संबंधित प्रायोगिक कार्य में परामर्श देंगे तथा उनका मार्गदर्शन करेंगे।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) छात्र के शोध प्रयासों का समर्थन करता है, एनसीईआरटी अतिरिक्त रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अनुलग्नक VIII के लिए अनुरोध करता है।

5.2 अन्य प्रोत्साहन

1. प्रयास शिक्षार्थियों, गाइड शिक्षकों और एचईआई

के विशेषज्ञों का नाम प्रस्तावित परियोजना सहित प्रयास के वेब पोर्टल पर हमेशा के लिए अपलोड कर दिया जाएगा।

2. प्रयास के शिक्षार्थियों द्वारा किए गए कार्य को राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जा सकता है।
3. परियोजना के सफल समापन पर शिक्षार्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
4. प्रयास का एक संग्रह विकसित किया जाएगा और उसे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, तथा तकनीकी रिपोर्ट भी संकलित कर प्रकाशित की जाएगी।
5. परियोजनाएँ जो अद्वितीय विचारों वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल्य दर्शाती हैं, ऐसी परियोजनाओं को जूरी समिति की सहमति के आधार पर एक वर्ष के लिए समान वित्तीय सहायता (उत्प्रेरक अनुदान) के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि प्रयास छात्र परियोजना पर एक वर्ष कार्य करने के बाद विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करके उच्च शिक्षा के लिए चला जाता है तो, उसी विद्यालय के इच्छुक जूनियर छात्र समूह को यह परियोजना औपचारिक रूप से स्थानांतरित की जा सकती है। तथा मूल छात्रों को सभी अभिलेखों में "संस्थापक योगदानकर्ता" के रूप में मान्यता दी जाएगी। उपरोक्त के लिए एनसीआरटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
6. एनसीईआरटी सामाजिक मुद्दों को हल करने की उच्च क्षमता वाली चयनित परियोजनाओं की पहचान और सुविधा प्रदान करेगा, जिससे अनुसंधान विचारों को स्टार्टअप समर्थन के साथ समाधान में बदलने में सक्षम बनाया जा सकेगा। इस संबंध में, राष्ट्रीय नवाचार परिषद जैसी सरकारी पहलों को कार्यान्वयन के लिए संपर्क किया जा सकता है।

5.3 परियोजना कार्य का प्रकाशन

शिक्षार्थियों के परियोजना कार्य के परिणाम शिक्षक और उच्च शिक्षा संस्थान के संकाय सदस्य/विशेषज्ञ के विवेक पर मानक संदर्भित पत्रिकाओं (जर्नल) में प्रकाशित किए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनसीईआरटी द्वारा प्रदान की गई सहायता का ऐसे सभी प्रकाशनों में हमेशा श्रेय मिलना आवश्यक है। प्रकाशित शोध पत्रों की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी एनसीईआरटी को भेजी जानी चाहिए।

प्रयास टीम को इस परियोजना कार्य के किसी भी प्रकाशन तथा पेटेंट में एनसीईआरटी के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए।

प्रयास के तहत किए गए शोध कार्य का मूल्यांकन एनसीईआरटी के बौद्धिक संपदा (आई.पी.) प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

5.4 अन्य नियम और शर्तें

1. प्रयास (प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स) शिक्षार्थियों और एनसीईआरटी के बीच की कड़ी हैं। एनसीईआरटी कार्यक्रम का विवरण और संबंधित अपडेट विद्यालयों को भेजेगी। विद्यालयों को नवीनतम जानकारी के साथ अप-टू-डेट रहने और उन्हें शिक्षार्थियों को अवगत कराने की आवश्यकता है।

2. परियोजना से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि के समय होने वाली किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना के लिये एनसीईआरटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. एनसीईआरटी जब भी आवश्यक समझे, अपने अधिकारियों को प्रयास योजना के काम की समीक्षा करने, लेखा का निरीक्षण करने, विद्यालयों और संस्थानों में उपस्थिति आदि का निरीक्षण करने के लिए भेज सकती है, जहां शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं।
4. सभी मामलों में एनसीईआरटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
5. प्रयास योजना के अंतर्गत चयनित परियोजना की अवधि एक वर्ष है। सामान्यतः इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिन्हें एक वर्ष में पूरा किया जा सके। विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के आधार पर समय अवधि छः माह के लिए बढ़ायी जा सकती है। जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त उत्प्रेरक अनुदान देय नहीं होगा।
6. शिकायतें दिशानिर्देश में उल्लेखित ई-मेल के माध्यम से संबोधित की जा सकती हैं।



अनुलग्नक-I

प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटिट्यूड इन यंग एण्ड एम्पाइरिंग स्टूडेंट्स (प्रयास) योजना (2026-27)

आवेदन पत्र

शिक्षार्थी, शिक्षक और एचईआई विशेषज्ञ की फोटो

शिक्षार्थी 1	शिक्षार्थी 2	गाइड शिक्षक	एचईआई से विशेषज्ञ
--------------	--------------	-------------	-------------------

भाग अ. व्यक्तिगत विवरण

1. विद्यार्थी विवरण

1. परियोजना में शामिल विद्यार्थी(यों) की संख्या:

अ. शिक्षार्थी का नाम:

ईमेल

संपर्क नंबर.....

आयु कक्षा..... वर्ग

ब. शिक्षार्थी का नाम (प्रथम शिक्षार्थी और द्वितीय शिक्षार्थी का विवरण भरा जा सकता है):

ईमेल.....

संपर्क नंबर.....

आयु कक्षा वर्ग

विद्यालय-आईडी (युडीआईएसई).....

विद्यालय का प्रकार

(क) ग्रामीण/शहरी

(ख) सरकारी/ निजी

विद्यालय के प्रमुख का नाम

विद्यालय की संबद्धता

2. शिक्षक का विवरण

शिक्षक का नाम

पद और संपर्क नंबर

ईमेल

योग्यता

विषय विशेषज्ञता

3. विद्यालय का नाम (डाक पते के साथ)

ग्राम/शहर जिला राज्य

पिन कोड ई-मेल

4. एचईआई से विशेषज्ञ का विवरण (विश्वविद्यालय, कॉलेज, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों उद्योगों की अनुसन्धान एवं विकास प्रयोगशाला)

अ. विशेषज्ञ का नाम

ब. पद

स. एचईआई का नाम

(पूरा पता)

ग्राम / शहर जिला राज्य

पिन कोड ई-मेल

संपर्क नंबर

द. अर्हता

य. विषय विशेषज्ञता

भाग ब. परियोजना प्रस्ताव

1. परियोजना प्रस्ताव का शीर्षक
2. अनुसंधान विचार की उत्पत्ति/उदगम (अधिकतम 50 शब्द)
3. पृष्ठभूमि (अधिकतम 150 शब्द)
4. उद्देश्य (अधिकतम 2-3 उद्देश्य) (अधिकतम 50 शब्द)
5. समाज के लिए प्रस्ताव की प्रासंगिकता (अधिकतम 100 शब्द)
6. वैज्ञानिक सिद्धांत (अधिकतम 150 शब्द)
7. अनुसंधान के तरीके (अधिकतम 200 शब्द)
8. समय सीमा (त्रैमासिक)

क्र.सं.	महीना	प्रस्तावित कार्य	संपन्न किए जाने वाले कार्य

9. परियोजना प्रस्ताव की व्यावहारिक प्रयोज्यता (अधिकतम 100 शब्द)
10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखना (अधिकतम 100 शब्द)
11. निष्कर्ष (अधिकतम 100 शब्द)
12. संदर्भ

अनुलग्नक-II

प्रयास द्वारा घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं/हम एनसीईआरटी द्वारा प्रयास योजना के अंतर्गत प्रदान उत्प्रेरक अनुदान के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
2. मैंने/हमने वित्तीय सहायता के लिए इसे या समान परियोजना प्रस्ताव को कहीं और प्रस्तुत नहीं किया है।
3. मैं/हम प्रस्तावित समय-सीमा में हमारे द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्य को पूरा करेंगे और समय पर दिए गए प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा/करूंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर विद्यार्थी 1

हस्ताक्षर विद्यार्थी 2

प्रयास शिक्षक के हस्ताक्षर

मुहर और दिनांक के साथ विद्यालय प्रमुख के पृष्ठांकन हस्ताक्षर

अनुलग्नक-III

विद्यालय प्रमुख से अनुमोदन

(आधिकारिक लेटरहेड पर)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्ताव का शीर्षक "....." है, जो किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. विद्यालय प्रयास योजना में चयनित प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत सुश्री/श्री शिक्षार्थी, शिक्षक डॉ/श्री/श्रीमती पद विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, कॉलेज, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों उद्योगों की अनुसन्धान एवं विकास प्रयोगशाला (एचईआई)..... के विशेषज्ञ प्रोफेसर/डॉ. के मार्गदर्शन की भागीदारी का स्वागत करता है।
3. विद्यालय प्रस्तावित योजना कार्य करने के लिए प्रयास अध्येता के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।
4. विद्यालय प्रयास योजना के तहत विद्यार्थी को अनुसन्धान/जाँच करने में सहायता करने के लिए मार्गदर्शक शिक्षक को निर्दिष्ट करेगा।

दिनांक के साथ विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर मोहर के साथ

अनुलग्नक-IV

उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख से अनुमोदन

(आधिकारिक लेटरहेड पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्ताव का शीर्षक
"....." है।

1. वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. संस्थान प्रयास योजना में चयनित प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत शिक्षार्थी सुश्री/श्री
शिक्षार्थी, शिक्षक/डॉ/श्री/श्रीमती पद
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, कॉलेज, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी या
गैर-सरकारी संगठनों उद्योगों की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला
(एचईआई) के विशेषज्ञ प्रोफेसर/डॉ.
..... के मार्गदर्शन की भागीदारी का स्वागत करता है।
3. संस्थान प्रस्तावित अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रयास अध्येता के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।

कार्यकारी प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक और संस्थान/विश्वविद्यालय की मुहर के साथ

अनुलग्नक-V

(अभिभावक/विद्यार्थी के संरक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भरा जायगा)

(यह फॉर्म दोनों विद्यार्थी(यों) के लिए अलग-अलग भरना होगा।)

सहमति पत्र

मैं,
पिता/माता/अभिभावक.....
कक्षा का विद्यार्थी, का.....

..... विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित "प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटिट्यूड इन यंग एंड एस्पाइरिंग स्टूडेंट्स, प्रयास योजना 2026-27" में उनकी भागीदारी के लिए मेरी सहमति देती/देता हूँ। यदि उसका शोध कार्य चुना जाता है तो वह एनसीईआरटी के सभी नियमों का पालन करेगी/करेगा।

तारीख

जगह

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

विद्यालय प्राचार्य द्वारा अनुमोदन

अनुलग्नक-VI

विद्यार्थी स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्ति रसीद

विद्यालय का नाम:

PRAYAAS (वर्ष):

विद्यार्थी का नाम:

कक्षा:

मैं,, कक्षा का/की विद्यार्थी, यह स्वीकार करता/करती हूँ कि मुझे ₹ 5,000/- (₹2,500/- प्रति विद्यार्थी) कि मुझे की वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति राशि से प्राप्त हुई है।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त राशि मुझे/मेरे माता-पिता अथवा अभिभावक को प्राप्त हो चुकी है तथा ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

विद्यार्थी 1 के हस्ताक्षर

मार्गदर्शक शिक्षक के हस्ताक्षर

विद्यार्थी 2 के हस्ताक्षर

विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

FORM GFR 12A

GENERAL FINANCIAL RULES 2017
Ministry of Finance
Department of Expenditure



GFR 12 – A

[(See Rule 238 (1))]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE FOR AUTONOMOUS BODIES OF THE GRANTEE ORGANIZATION

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE YEAR..... in respect
of recurring/non-recurring
GRANTS-IN-AID/SALARIES/CREATION OF CAPITAL ASSETS

- Name of the Scheme.....
- Whether recurring or non-recurring grants.....
- Grants position at the beginning of the Financial year
 - Cash in Hand/Bank
 - Unadjusted advances
 - Total
- Details of grants received, expenditure incurred and closing balances: (Actuals)

Unspent Balances of Grants received years [figure as at Sl. No. 3 (iii)]	Interest Earned thereon	Interest deposited back to the Government	Grant received during the year			Total Available funds (1+2-3+4)	Expenditure incurred	Closing Balances (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			Sanction No. (i)	Date (ii)	Amount (iii)			

Component wise utilization of grants:

Grant-in-aid-General	Grant-in-aid-Salary	Grant-in-aid-creation of capital assets	Total

Details of grants position at the end of the year

- Cash in Hand/Bank
- Unadjusted Advances
- Total



GENERAL FINANCIAL RULES 2017
Ministry of Finance
Department of Expenditure

FORM GFR 12A

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned:

- (i) The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules) and have been duly audited by designated auditors. The figures depicted above tally with the audited figures mentioned in financial statements/accounts.
- (ii) There exist internal controls for safeguarding public funds/assets, watching outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, ensuring quality in asset creation etc. & the periodic evaluation of internal controls is exercised to ensure their effectiveness.
- (iii) To the best of our knowledge and belief, no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/standing instructions and scheme guidelines.
- (iv) The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms and are not general in nature.
- (v) The benefits were extended to the intended beneficiaries and only such areas/districts were covered where the scheme was intended to operate.
- (vi) The expenditure on various components of the scheme was in the proportions authorized as per the scheme guidelines and terms and conditions of the grants-in-aid.
- (vii) It has been ensured that the physical and financial performance under..... (name of the scheme has been according to the requirements, as prescribed in the guidelines issued by Govt. of India and the performance/targets achieved statement for the year to which the utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – I duly enclosed.
- (viii) The utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – II duly enclosed (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications.)
- (ix) Details of various schemes executed by the agency through grants-in-aid received from the same Ministry or from other Ministries is enclosed at Annexure –II (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications).

Date:

Place:

Signature

Name.....

Chief Finance Officer

(Head of the Finance)

Signature

Name.....

Head of the Organisation

(Strike out inapplicable terms)

अनुलग्नक-VIII

उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) के प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (संस्थान के लेटरहेड पर)*

(PRAYAAS योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की आवश्यकता न होने की स्थिति में)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि “.....” शीर्षक वाली परियोजना के संदर्भ में, हमारा संस्थान विद्यालय के छात्र/छात्रा श्री/सुश्री तथा स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) श्री/श्रीमती/डॉ. की सहभागिता का स्वागत करता है। यह परियोजना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान/अनुसंधान प्रयोगशाला/उद्योग (PSU/सरकारी/गैर-सरकारी) के प्रो./डॉ. के मार्गदर्शन में संचालित की जाएगी।

संस्थान यह भी प्रमाणित करता है कि वह PRAYAAS परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अन्य अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके लिए NCERT अथवा PRAYAAS योजना से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा।

संस्थान/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के दिनांक एवं मुहर सहित हस्ताक्षर

अनुलग्नक-IX

प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप

प्रगति रिपोर्ट परियोजना के तीन महीने के बाद विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। रिपोर्ट में निम्नलिखित शीर्षक और उनके अंतर्गत आवश्यक सामग्री प्रदर्शित होनी चाहिए:

क्र.सं.	अनुभाग
1	सारांश
2	आभार
3	परिचय और उद्देश्य
4	आवश्यक सामग्री और उपकरण
5	सिद्धांत
6	प्रक्रिया
7	परिणाम (प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक)
8	निष्कर्ष और चर्चा (परिणामों पर तब तक और कितना किया जाना बाकी है)
9	अनुक्रमणिका
10	संदर्भ

अनुलग्नक-X

अंतिम शोध रिपोर्ट के लिए प्रारूप

क्र.सं.	अनुभाग	अंतर्वस्तु
1	आभार	इसमें शामिल संस्थानों और शोध के दौरान किसी तरह से आपकी मदद करने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञता के शब्द लिखें।
2	सार	अपने शोध कार्य का संक्षिप्त सारांश लिखें।
3	परिचय	सिद्धांतों, प्रतिक्रियाओं, समीकरणों और डेटा आदि जैसे तथ्यों और समुदाय/समाज में शोध की प्रासंगिकता का विस्तृत विवरण देते हुए शोध की पृष्ठभूमि के बारे में लिखें; शोध करने के लिए अपनी प्रेरणा/कारण के बारे में भी लिखें।
4	उद्देश्य	अपने शोध के उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में लिखें।
5	क्रियाविधि	प्रक्रिया/दृष्टिकोण/पद्धति को चरणबद्ध और स्पष्ट शब्दों में लिखें; शोध में आपके द्वारा उपयोग की गई शोध विधियों के बारे में लिखें। आप प्रक्रिया लिखने के लिए अन्य रचनात्मक तरीके का भी उपयोग कर सकते हैं।
6	परिणाम	अपने शोध के निष्कर्षों के बारे में आसान और बोधगम्य तरीके से लिखें ताकि पाठकों को समझने में आसानी हो; इस सेक्शन में आप टेबल और फ्लोचार्ट आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
7	निष्कर्ष/चर्चा	परिणाम से आपने जो निष्कर्ष निकाला उसके बारे में लिखें। नतीजा क्या निकलता है? अपने शोध कार्य को यहां उपयोग की गई कार्यप्रणाली के साथ सारांशित करें और फिर आप अपने प्राप्त परिणाम के पीछे के कारण लिख सकते हैं; यह भी लिखें कि अनुसंधान किस प्रकार समुदाय/समाज के लिए प्रासंगिक होगा। यदि आपका परिणाम आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, तो आप परिणामों के संभावित कारणों के बारे में लिख सकते हैं। साथ ही कुछ सुझाव भी लिखें जो आप इस परियोजना के लिए दे सकते हैं।
8	संदर्भ	शोध कार्य करते समय आपने जिन सन्दर्भों का प्रयोग किया है, उन सभी उद्धरणों को लिखिए। उद्धरण नवीनतम एपीए प्रारूप में दिया जा सकता है।

अनुलग्नक-XI

घोषणा पत्र

मौलिकता प्रमाणपत्र

हम,,

.....,

यह घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत शोध कार्य हमारा स्वयं का मौलिक सृजनात्मक कार्य/हमारे ज्ञान के आधार पर संशोधित कार्य है। यह कार्य पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस रूप में तैयार या विकसित नहीं किया गया है।

विद्यार्थी 1 के हस्ताक्षर

मार्गदर्शक शिक्षक के हस्ताक्षर

विद्यार्थी 2 के हस्ताक्षर

विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-XII

PRAYAAS टीम हेतु संवाद प्रपत्र (विद्यार्थी, शिक्षक एवं एचईआई विशेषज्ञ)

परियोजना शीर्षक:

शिक्षार्थियों के नाम एवं कक्षा:

विद्यालय का नाम:

मार्गदर्शक शिक्षक का नाम:

एचईआई विशेषज्ञ का नाम:

एचईआई/संस्थान का नाम:

क्र. सं.	संवाद की तिथि	माध्यम (ऑनलाइन/ऑफलाइन)	मार्गदर्शन का चरण	एचईआई विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन/मुख्य सुझाव
1			परियोजना प्रारंभ	
2			मध्यावधि समीक्षा	
3			अंतिम-पूर्व समीक्षा	

विद्यार्थी 1 के हस्ताक्षर

मार्गदर्शक शिक्षक के हस्ताक्षर

विद्यार्थी 2 के हस्ताक्षर

विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर



GUIDELINES

Promotion of Research Attitude in Young And Aspiring Students

PRAYAAS 2026-27

1. Introduction

The young mind of a learner is full of curiosity and imagination. The innate characteristic of inquisitiveness is crucial for a learner to understand concepts in science better and apply them in real-life situations to solve problems. Children may utilise their creative and critical thinking skills in developing solutions to societal challenges. They need to be given opportunities to address societal challenges and also to create new knowledge. The National Education Policy 2020 emphasizes the need to encourage original thinking among students, make India a global knowledge superpower and generate new avenues of employment. To nurture the young innovative minds, Promotion of Research Attitude in Young And Aspiring Students (PRAYAAS), was launched in the year 2023. In continuation, under the scheme PRAYAAS 2026-27, DESM, NCERT invites project proposals from interested school students studying in grade VIII to XI.

This programme provides opportunities to the young students to realize and recognize the importance of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) education in real-life situations and to foster their creative imagination. It also helps them to showcase their scientific potential at the national level through this scheme, PRAYAAS. In this context, it is envisaged that students, under the mentorship of a science teacher and the guidance of faculty member/expert from the Higher

Education Institutions (HEIs), which includes, Indian Universities, Colleges, PSUs, Research & Development Laboratories of government or non-governmental organisations, Industries, etc. would propose a project and, if selected, will study by applying different aspects of STEAM education in their research through this project proposal. This will enable the learners to develop scientific temper, generate new ideas, prepare research project proposal and further implement it for a noble cause. Students and teachers will be oriented through this process to explore and develop new ideas and innovations, and to investigate how these innovations can provide better solutions to local or global contemporary challenges. This programme will engage the students in learning of scientific concepts in innovative ways which will contribute in their holistic development. PRAYAAS scheme, is a unique programme which is aimed at providing the opportunity to the school students for conducting year-long research and investigations and to become acquainted with scientific methodology and experimentation. Another distinct feature of this programme is the creation of linkages between school education and HEIs and optimizing learning-teaching relationship among student, teacher from schools and expert from HEI. This programme is aligned with the spirit of NEP 2020 and focuses on scientific temper and evidence-based thinking, creativity and innovativeness, logical reasoning and problem-solving, keeping in view the critical issues faced by the local communities. It also focuses on

'Experiential Learning' where the learner is embedded in learning a concept as a whole, encompassing all domains of learning. The PRAYAAS scheme, is the much-needed impetus in the positive direction to enhance learning flexibility of young students.

The Department of Education in Science and Mathematics, National Council of Educational Research and Training, New Delhi, provides a catalytic grant to nurture original ideas in the areas of Science, Technology, Engineering and Mathematics and their possible intergration with arts (STEAM). The main objective of this scheme is to promote Science education and popularise Science. This is an integrated programme to enable a school student and a science teacher to carry out scientific research in collaboration with an expert from any discipline of science in HEI who will serve as a mentor. The scheme will provide a platform to the budding scientists from

schools of different states and union territories of India with the following objectives:

- » Orienting school students in science process skills for conducting research and investigation.
- » Developing a scientific temper and instill evidence-based science process skills, innovativeness and creativity among school students.
- » Fostering competencies among school students for carrying out research and investigation individually or in groups.
- » Providing them a platform to become problem-solvers by applying scientific methods for solving societal problems.
- » Establishing linkages between school education and higher education for optimizing students' learning for development of scientific thinking and skills.
- » Developing the competency of entrepreneurship among students toward initiating start-ups by applying scientific process.

1.1 Area covered for the Project under the PRAYAAS 2026-27

Projects submitted under PRAYAAS must be unique, free of plagiarism, and should not be supported by any other initiative or program of any other funding agency. It shouldn't be copied, altered, or based on projects that have been submitted elsewhere. It is the responsibility of School and experts from Higher Education Institutions (HEIs) to verify that their submissions are unique and not presented under multiple schemes. PRAYAAS invites project proposals for carrying out research/investigation on an original Scientific concept/area such as;

- » Identify and study a local problem



- » Investigate a scientific reason behind a local problem
- » Attempt to find a scientific solution to identified problem.
- » Work on any idea/imaginings/conceptions that intends to generate scientific knowledge

Through the scheme, "PRAYAAS" school students and school teachers along with a faculty/expert from HEI would carry-out research work on investigation of a problem and its research-based solutions that would contribute to learning of science or saving of environment, and so on. A team of maximum two students of different grades (for example one student from grade 11 or 10 along with another student from grade 8 or 9) and one teacher in collaboration with one faculty/expert from HEI (as defined in Annexure I) may apply for this scheme with a project proposal. PRAYAAS student, in consultation with the teacher, will select an original idea from various research areas as elaborated in section 1.1. Schools are mandated to facilitate the pairing of the student-student and student-teacher with an expert from a nearby HEI. An expert

from an HEI in proximity to the school could be engaged to provide guidance in utilizing tools and techniques for the research. The faculty/expert from HEI and school teachers can provide timely guidance about all detailed methodology to PRAYAAS student(s).

1.2 Eligibility Criteria

The eligibility criteria for participation in this programme are:

For Students

- » The student(s) must be studying in grade VIII to XI.
- » Students from all schools are eligible to participate in PRAYAAS.
- » A group of maximum two students, along with a teacher at their school, and an expert from any HEI should submit a proposal.
- » School head should forward only one proposal for consideration under the scheme. If a school forwards more than one proposals, all proposals will summarily be rejected and no correspondence in this regard will be entertained.

For Teachers

A qualified Post Graduate Teacher (PGT) /Trained Graduate Teacher (TGT) or equivalent who is teaching Science/ Physics/ Chemistry/ Mathematics and Biology to grade VIII to XI, are eligible to become a "PRAYAAS" Guide Teacher under the scheme.

For Expert from an HEI/Technical Institute:

Experts from any discipline of science and technology serving in an HEI (listed in Annexure-I, Part A-Sr. No. 4) are eligible to be a PRAYAAS expert.

1.3 Project Tenure

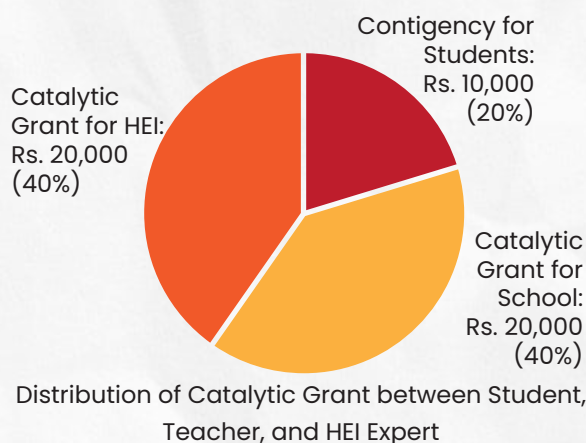
The project tenure is for one year from the date of commencement of the project in school to completion. Tentative date of tenure are from 1st September 2026 to 31st August 2027 for PRAYAAS 2026-27. Heads of Schools and HEIs for the selected projects are expected to facilitate the project work during the tenure and ensure completion of the project by the end of the tenure.

1.4 Research Grant

A grant of total Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) will be given for each selected research proposal. Out of this amount, Rs. 10,000/- will be provided to the student (Rs. 5,000 each in case of two students) and Rs. 20,000 each will be given to the School and HEI as catalytic grant to facilitate the students in conducting the research.

The grant will be released in two installments to the Students/School/ HEIs. The first installment of the grant (half of the amount) will be released within a month of the declaration of results and acceptance by Students/School/ HEI. The amount will be transferred directly to the bank account of the school and the HEI account. School need to disburse the

released grant to the PRAYAAS student(s). The second installment will be released only after the submission of satisfactory progress report after six months. The grant amount will be the same regardless of whether the project is focused on innovation/manufacturing or knowledge-based endeavors, as this ensures fairness and equal opportunity for all projects. Guidelines for the use of catalytic grant should be followed strictly.



1.5 Roles and Responsibilities

In this project, a teacher from the school will be associated with the student(s) to guide and supervise in their research throughout the tenure. An expert from nearby HEI will be involved as a mentor to provide technical and experimental guidance to the students, as well as to facilitate and support their work in the laboratory using various tools and techniques.

The **PRAYAAS teacher** and the student, in consultation with the PRAYAAS expert will choose an original idea from any of the different research areas given in section 1.1.

Role of school in managing the research on the selected proposal is the most important as a primary source of guidance and communication for the students regarding the project proposal. School Heads are required to make a

team of student(s), teacher and an expert from HEI located close to the school could be involved for the purpose. Everyone in the research team needs to understand their individual responsibilities as a team member. Teachers and Experts from HEIs are required to provide students with the subject knowledge and skills needed in the project. School management committee is required to maintain school atmosphere to encourage PRAYAAS student(s) to work better during survey and while conducting research with precision research. School should maintain a record of student(s) attendance and work hours and send it at the time of submission of report along with utilization certificate. Special emphasis may be given to the children with special needs.

Special efforts may be made by the schools to create awareness among the students about PRAYAAS.

PRAYAAS Student(s) need to perform experiments/investigation under the proposed project by a) planning and discussion with teacher and/or expert from HEI and ultimately to implement the project under the scheme. b) following proper scientific procedures, science process skills such as making observations, report and record observation, analyse data, infer, conclude results and discuss results in application perspectives. As per the needs, the students may have to go on field visits or field survey for data collection and investigation.

In project there should be a clear and equitable distribution of responsibilities among both students shall be encouraged. At the proposal stage, the student group shall briefly outline individual roles and responsibilities (such as field work, data collection, analysis, documentation, or prototype development).

Schools should encourage the participation of students from grade VIII

to XI, lower-grade students will be given preference. This approach promotes multigrade learning. Additionally, It will also address the issue of transfer of student from one school to the other, as the remaining student will continue the PRAYAAS project if one of them moves to another school.

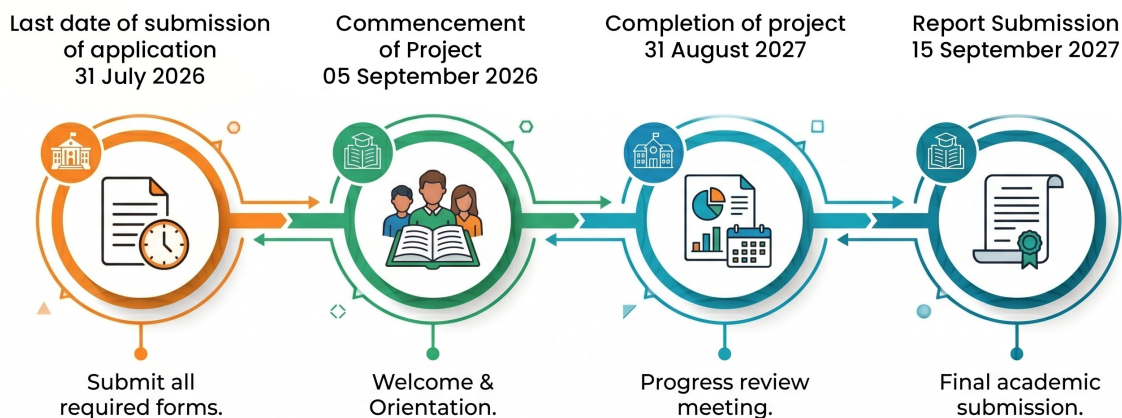
PRAYAAS Guide Teacher under the scheme would need to provide guidance to PRAYAAS Student in planning of experiments/investigations to be carried out. They are required to guide PRAYAAS Students to follow proper scientific procedure. They may also help them scientific method with data analysis and infer and conclude research for its applied aspects. In case, if the teacher gets transfer from one school to the other, school may propose other qualified science teacher of school as guide teacher for consideration. NCERT's decision will be final in this regard.

Mentors from HEIs may propagate the idea into furtherance of research or provide guidance for error free or unbiased research and investigations and to work with precision. They are expected to provide technical and experimental guidance to PRAYAAS student(s) and facilitate and guide them in using the laboratory tools and equipments.

School Heads are expected to contact and collaborate with HEI and facilitate learning-teaching relationships of student(s), teacher and HEI expert..

The HEI Expert shall conduct at least three structured mentoring interactions (project finalisation, mid-term review, and pre-final review), either online or offline, which must be documented in a one-page Mentorship Interaction Log (including date, mode, and guidance Annexure XII.) annexed to the progress report and countersigned by the HEI Expert.

Head of HEIs are expected to support and facilitate infrastructure in their institutions.



1.6 Important Dates of the Tentative PRAYAAS Scheme

- Date of Announcement of PRAYAAS scheme:
22 June 2026
- Last date of submission of application:
31 July 2026
- Screening of applications:
10 August 2026
- Jury review and selection of project proposal:
25 August 2026
- Announcement of results:
31 August 2026
- Commencement of Project:
05 September 2026
- Progress Report (four months after the date of commencement of the project)
Completion of project:
31 August 2027
- Report Submission:
15 September 2027

**Applications received after the last date will not be considered.*

2. Application Procedure

Department of Education in Science and Mathematics (DESM) is inviting project proposals under the scheme Promotion of Research Attitude in Young And Aspiring Students, PRAYAAS, 2026-27. The related information is also available on NCERT website www.ncert.nic.in. The applicants are required to send their application and project proposal which they intend to undertake, online to email id (prayaas2526@gmail.com) in the prescribed format (Please see Annexure-I). The format for sending the application in HTML and PDF format is given as Annexure-I (complete checklist provided on the NCERT website may be referred before submitting the project). The students who are willing to fill their applications may download the HTML format, fill up the entries by typing or they can download the PDF format and fill-up the entries by clean hand writing. After filling-up of the application form, they may get the form duly signed with seal in the School Head. Duly typed and completed applications may be scanned and sent to prayaas2526@gmail.com

1. While developing the PRAYAAS proposal, the incumbent should follow proper scientific principles/methods as given in the guidelines.

2. The research proposal should clearly state the aim, principle, materials and equipment required (though tentative), research methodology that will be adopted for the study and the expected outcomes of the research which they wish to undertake. (Format for the research proposal is given in the Annexure-I).
3. The No Objection Certificates (Annexures-IV and V) should be printed, filled up, scanned and then be uploaded online itself. It is to be noted that if two students are participating as a group, the Annexures-IV and V need to be filled in individually for both the students of the group.
4. Expert from HEI must submit a No-Objection Certificate duly signed by the Head/Principal of their Institution.

3. Selection Procedure

3.1 Screening of the entries

After receiving the entries, the project proposals will be screened by a committee of experts. The screening process will be based on the criteria adopted by NCERT which are following:

1. Originality of the Research proposal (20%)
2. Scientific Thought/Principle (10%)
3. Scientific Methodology to be followed for performing Research (10%)
4. The relevance of proposed research for solving local problems, or the generation of scientific knowledge (20%)
5. Environmental efficacy and sustainability (20%)
6. Explanation and clarity of the proposed research project proposal and write up (20%)

Note: NCERT reserves the right to alter the criteria for selection.

Based on the criteria suggested above, the entries will be shortlisted for consideration for next round of selection for PRAYAAS scheme. It should be noted that merely fulfilling the eligibility criteria would not entitle the applicants for being shortlisted for next round. NCERT reserves the right to call or not to call a candidate for a presentation/interview based on unforeseen reasons.

3.2 Call for interview

For the shortlisted entries, the concerned students and teachers/mentors will be called by NCERT for online presentation cum interview.

The logistics for online presentations of the research proposal needs to be managed by the respective school authorities (or systems) at their end. The interview may be attended by all participating students, teachers, and the expert from HEIs. The concerned teacher and student(s) against each screened proposal will be expected to give a presentation of five to seven minutes explaining their project proposal. Soft copy and power point presentation should be submitted in advance before the date of interview cum presentation. Name of the student, affiliated school and name of HEI should be clearly mentioned in the initial slide of Power Point Presentation.

Presentation can be given with the help of Power Point Presentations and charts etc. The presentation will be followed by an oral discussion/ assessment by the jury. The project proposal will be evaluated based on following criteria:

1. Originality of thought about the research proposal (20%)
2. Clarity of scientific principle behind the research (10%)
3. Clarity of Scientific Methodology to be followed for performing Research (10%)
4. Clarity about Relevance of proposed

research to society and practical applicability or generation of new knowledge (20%)

5. Clarity about Environmental Sustainability and Efficacy (20%)
6. Oral presentation and explanation of the research project proposal (20%)

3.3 Declaration of Result

The results will be declared soon after the interviews on the NCERT website. Only 40 presentation cum research proposals (20 from rural (50% government and 50% non-government schools) and 20 from urban (50% government and 50% non-government schools)) will be selected for release of catalytic grant under PRAYAAS scheme. The notification will be sent to selected students, guide teacher, faculty member/expert from HEI, Head of facilitating school and HEI's administration through a letter by Email and Indian Postal Services. Concerned state SCERT, DIET and DOE will also be informed.

4. Implementation of PRAYAAS Scheme

Selected PRAYAAS Student(s), PRAYAAS Teacher and PRAYAAS Expert from HEI will be nominated and catalytic grants will be released to facilitating schools and HEIs

4.1 Acceptance of Catalytic Grant

The catalytic grants under PRAYAAS scheme will be given to the selected applicants by a formal letter giving details of the catalytic grant and the terms and conditions for their utilization. The offer should be availed immediately from within the last date mentioned in the Award Letter and acceptance letter should be sent back to the mail id of PRAYAAS scheme prayaas2526@gmail.com through School Head.

4.2 Release of Catalytic Grant for Selected Projects

- a. After receiving the necessary documents as mentioned in the award letter, through the school/Institution duly forwarded by the Principal/ Head of the school/Institution in whose favour the catalytic grant is to be released, the first installment of the catalytic grant will be released.
- b. The catalytic grant money will be transferred through Direct Bank Transfer mode to the concerned school and HEI administration.
- c. Subsequent installment will be made after on receipt of duly signed Utilisation Certificate by concerned School Head and Head of Higher Education Institution.
- d. School Head needs to maintain the records of attendance of PRAYAAS students and teachers and facilitate their visits to concerned HEI in consultation with the expert.

4.3 Conducting Research

Immediately after receiving the acceptance letter, the PRAYAAS Student may start working on the proposed project. They do not need to wait for release of catalytic grants. The first installment will be released in due course of time. PRAYAAS student(s) may make work plan to complete the work in collaboration with PRAYAAS guide teacher and PRAYAAS expert from HEI. They are expected to utilize minimum 5 to 7 hours per week on the project. For conducting the research and investigate work in HEI laboratory, they may utilize 10 bagless days, winter and summer vacation also.

4.4 Use of catalytic Grant and submission of utilization certificate

The catalytic grant provided to schools and HEIs may be utilised for various

requirements for project work to be undertaken. Part of this catalytic grant may be used for stationary, purchase of books, travel expenditure for data collection and small consumables required for performing experiments, such as; non-poisonous, non-toxic chemicals, laboratory related glasswares, science kit, and other consumables and non-consumable etc., related to the research work in the purposed study. Non-consumable once purchased will be the property of respective laboratory during and after the completion of the project.

It must be noted that the catalytic grant cannot be used for taking membership of scientific associations and organisations.

The budget for catalytic grant utilized must be submitted by the science teacher of Schools and experts from HEIs by submitting utilization certificate may be obtained from the concerned Head of the Schools and Head of HEI. However, school Head must certify the utilization of money by the PRAYAAS student is given in the Annexure-VI.

Utilization Certificate for the catalytic grant of both instalments have to be submitted for the full sanctioned amount under PRAYAAS Scheme. In cases where the UC has been submitted for a partial amount, the remaining unutilized funds must be returned to the NCERT with Unique Transaction Reference (UTR).

The UC for the catalytic grant must be submitted within 15 days from the date of release of the grant so that all formalities may be completed in time and unnecessary delays may be avoided. Timely submission of the UC is essential for completing administrative and academic formalities related to the scheme. Delays in the submission of the Utilization Certificate adversely affect the smooth conduct of the scheme.

The Utilization Certificate (UC) have to be submitted in GFR-12 format is given in the Annexure-VII. Kindly download it, fill it, and send the completed Utilization Certificate separately for both the School and the HEI. School/HEIs need to submit UC of the total amount. The non-utilised amount (if any) needs to be refunded in NCERT account.

The second installment shall be released only upon submission of the Utilization Certificate (UC) for the first installment.

The HEI that does not require financial support must submit a NO Objection Certificate (NOC) in the prescribed format stated in (Annexure-VIII).

4.5 Submission of Progress Report

The preparation of progress report on the research work done shall be an essential part of the students' work. The students shall submit their research progress report after four months in the prescribed format (Annexure-IX). A team of experts designated by NCERT may review the progress of the project and decide the timeline for two online and one offline formal interactions with each of the PRAYAAS team members. The offline meeting will be done at the work place of the PRAYAAS team either in school or at HEI as per the convenience of the team. The feedback and suggestions will be provided by NCERT to team PRAYAAS and will be conveyed to the individual PRAYAAS team. It is essential to provide latest and complete information about ongoing research. The results (outcomes) should be presented quantitatively in Tables/Figures and discussed qualitatively in terms of the fulfillment of objectives and conclusions drawn should also be given. Further planning of research for completing the tenure may also be given in the progress report. Fragmentary or

partial or incomplete reports shall not be entertained. PRAYAAS Guide teacher and school shall bring out her/his assessment report sharing the originality and initiative of the PRAYAAS student in carrying out the research work. Format for the progress report is given in the Annexure-IX.

4.6. Submission of Final Technical Report

Final technical report is important for the students in reflecting all the hard work and investigation they have carried out. Thus, it is important to write the report in a presentable and disciplined manner. It will make the result more comprehensible to the readers. The prescribed format for writing the final technical report is given in the (Annexure-X) and should be strictly adhere to while writing the report. The final technical report should duly acknowledge financial assistance for the project from NCERT. The final technical report needs to be submitted within 15 days of completion of project deadline. The research work submission should be accompanied by the submission of Proforma talking about the details regarding the Research work (Annexure-II) and the declaration for originality of research (refer Annexure-XI). Attendance record duly signed by school head and PRAYAAS mentor of HEI must accompany the report.

Schools should conduct plagiarism checks prior to mid-term and final reports to ensure academic integrity, nurture students to cite and attribute correctly and ethically, and encourage the publication of their project work with the help of teacher/HEI Expert.

All photographs, videos, and the final project report must be submitted within one year from the date of project initiation.

Institutionalising Learning from Failure:

The final project reports should mandatorily include a short section on:

- » Troubleshooting
- » What did not work as expected
- » Possible reasons
- » Learnings and future directions

This encourages risk-taking, creativity, and authentic scientific practice. It ensures that research is not branded as success-only model.

5. General Terms and conditions

5.1 Obligations and commitments

The PRAYAAS Student:

1. Once the student accepts the project and joins, it is necessary for her/ him to continue the research for the tenure of the project.
2. Each PRAYAAS student needs to fill the consent form duly signed by her/his parents/guardian and a no- objection certificate duly signed by the Principal of the school.
3. Once the project is accepted and work is initiated by the team under the scheme, the project should not be discontinued without the prior approval of the NCERT. In case any of the students wishes to discontinue the project prior to completion of the tenure, on attainment of original objectives of research, she/he must submit the letter to NCERT through the school one month in advance, indicating specific reasons for not continuing the project. The project shall be terminated from

the date stipulated in the NCERT letter by approval of the reasons given by PRAYAAS team.

4. The student(s) must maintain a daily record of her/his research work in a separate notebook.
5. The student(s) must also maintain a diary for writing his/her daily-expenses related to the project.
6. During the tenure of the research study, the student shall correspond with NCERT only through the school with the approval of the Principal of the school.

PRAYAAS Teacher:

1. Schools have to designate a teacher of concerned subject to the students at the time of submitting project proposal to help them in their research work.
2. PRAYAAS teacher has to maintain an attendance register for PRAYAAS student(s).
3. Schools have to ensure that the activity may be carried out by the teacher and student(s) as beyond classroom activity or may also get extra time period in school or in laboratories of HEI to work on this project with all safety and precautions. PRAYAAS teacher should guide PRAYAAS student(s) to take proper safety precaution while undertaking any research activity.
4. During the students' visit to the HEI or any other visit related to the project, teacher may accompany the students.
5. At the end of the duration of the project, the teachers will get a certificate from NCERT for their contribution in the research work.

The HEIs/Expert:

1. Higher Education Institutions (HEIs) needs to designate an expert of the concerned subject from their institution to guide the students at the time of submitting project proposal.

2. Expert from HEI may use her/ his own lab or any other lab of the institution for providing guidance to the student(s).
3. Expert(s) are expected to help the students in the experimental work involved.
4. To ensure that the Higher Education Institution (HEI) supports the student's research efforts, NCERT additionally requests for a No Objection Certificate (NOC).

5.2 Further Motivations

1. Project work of PRAYAAS Student (s), PRAYAAS Guide Teachers and PRAYAAS Expert from HEI along with their names will be uploaded on the web portal of PRAYAAS.
2. Work done by PRAYAAS Student (s) may also be showcased in Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani (RBVP) and other suitable events.
3. Upon successful completion of the project, Certificates of Merit will be issued to the successful students.
4. A PRAYAAS compendium will be developed and published on the NCERT website, and technical reports will also be compiled and published.
5. Projects that demonstrate significant scientific value with unique ideas may be extended for one year with the same financial support (Catalytic Grant), subject to the approval of the Jury Committee. If a student, after working on a PRAYAAS project for one year, completes their school education and moves on to higher education, the project can be formally transferred to an interested group of junior students from the same school. Furthermore, the original students will be recognized as "Founding Contributors" in all records. For the above, the decision of NCERT shall be final.

6. NCERT would identify and facilitate selected projects with high potential for solving social issues, enabling research ideas to transform into solutions with startup support. In this regard, government initiatives such as the National Innovation Council may be approached for implementation.

5.3 Publication of Project Work

The results of the project work may be published in standard refereed journals at the discretion of the student(s) teacher and expert. It should be ensured that the assistance provided by NCERT is always acknowledged in all such publication(s). Soft and hard copy of the published research papers should be sent to NCERT. The PRAYAAS team must acknowledge the support of NCERT in any of the publication patent out of this Project work.

The research work carried out under PRAYAAS will be evaluated by the Intellectual Property (IP) cell of NCERT.

5.4 Other terms and conditions

1. PRAYAAS (Promotion of Research Attitude in Young And Aspiring students) is a connecting link between the students and NCERT. NCERT will be sending the

details of the scheme and the related updates to the schools. Schools are required to be up-to-date with the new updates and disseminate them to the students.

2. NCERT will bear no responsibility for any force emergency incident during the project activity.
3. NCERT may send, whenever considered necessary, its officers for reviewing the research/investigation under the PRAYAAS scheme in schools and Institutes where the students are studying and working.
4. In all matters, decision taken by NCERT will be final.
5. The tenure of the selected projects under the PRAYAAS scheme is one year. In general, only the project proposals that can be completed in one year will be considered under the scheme. Tenure of the project may be considered for extension on the basis of geographical location(s) of the school. In this case no extra amount in the form of catalytic grant will be paid.
6. Grievances can be addressed through the e-mail mentioned in the guidelines.



**APPLICATION PROFORMA FOR PROMOTION OF RESEARCH
ATTITUDE IN YOUNG AND ASPIRING FOR STUDENTS (PRAYAAS)
SCHEME, 2026-27**

APPLICATION PROFORMA

<i>Student 1</i>	<i>Student 2</i>	<i>Guide Teacher</i>	<i>Expert from HEI</i>
------------------	------------------	--------------------------	----------------------------

Photograph of Student(s), Teacher and HEI Expert

Part A. Personal Details

1. Student Details

Number of students involved in the project:

a. Name of student:

E-mailContact No.....

Age.....Class Category

b. Name of student (in case of two students, detail of two students may be filled in):

E mail.....Contact No.....

Age.....Class Category

Name of School.....

Address of school

Contact number of School.....

School-Id (UDISE).....

Type of school (a) Rural/Urban.....

(b) Government / Private

Name of the Principal of school.....

Board to which school is Affiliated.....

2. Teacher's Details

- a. Name of teacher
- b. Designation and Contact No
- c. E-mail
- e. Specialisation.....

3. Name of School (with Postal Address).....

Village/ Town/cityDistrict

State..... Pin code.....

E-mail.....

4. Details of Expert from HEI (Universities, Colleges, PSUs, Research & Development Laboratories of Government or Non-Government Organisations, Industries)

- a. Name of Expert:
- b. Designation
- c. Name of HEI
- (Full Address)
- Village/ Town/cityDistrict
- State..... Pin code.....
- E-mail..... Contact No.....
- d. Qualification
- e. Subject Specialisation

Part B. Project Proposal

1. Title of the Project Proposal
2. Origin/Genesis of the Idea (Maximum 50 words)
3. Background (Maximum 150 words)
4. Objectives (Maximum 2-3 objectives) (Maximum 50 words)
5. Relevance of the proposal to society (Maximum 100 words)
6. Scientific Principal (Maximum 150 words)
7. Research Methods (Maximum 200 words)
8. Time line (three months)

S. No.	Month	Work to be undertaken	Work to be completed

9. Practical applicability of the project proposal (Maximum 100 words)
10. Learning by scientific approach (Maximum 100 words)
11. Conclusion (Maximum 100 words)
12. References

Annexure-II

Declaration by PRAYAAS Student(s)

This is to certify that

- » *I/We agree to abide by the terms and conditions of the Catalytic grant provided by NCERT under PRAYAAS scheme.*
- » *I/We did not submit this or a similar project proposal elsewhere for financial support.*
- » *I/We will undertake and complete the research work proposed by us within the proposed tenure and submit the report in the given format on time.*

Signature Student 1

Signature Student 2

Signature of Guide
Teacher

Endorsement Signature of School Head with Seal and Date

ENDORSEMENT FROM SCHOOL HEAD

(ON OFFICIAL LETTER-HEAD)

1. This is to certify that the project proposal titled “.....” has not been submitted to any other agency/agencies for any kind of financial support
2. The school welcomes participation of Ms./Mr..... student and Teacher Dr./Mr. Mrs. Designation..... from.....school under the mentorship of Prof./Dr..... ofcollege/ university / institute / research laboratories/ industry (PSU) /government/non-government) (HEI).
3. The school will provide the basic facilities and infrastructure facilities for PRAYAAS Student to carry out the proposed project work.
4. The school will facilitate the guide teacher to support the PRAYAAS student to conduct the research/ investigation related to proposed project under the PRAYAAS scheme.

Signature of School Head with Seal with date

**ENDORSEMENT FROM HEAD OF THE Higher Education Institutions
(ON OFFICIAL LETTER-HEAD)**

1. This is to certify that the project proposal titled “.....”
.....”
2. The institute welcomes participation of Ms./Mr.....
.....student and Teacher Dr./Mr./Mrs.....Designation.....
from..... school under the mentorship of Prof./Dr.
ofcollege/ university / institute / research laboratories/
industry (PSU)/government/non-government) (HEI) in the the project proposal titled
“.....” .
3. The Institute will provide the basic facilities and infrastructure facilities for PRAYAAS Student
to carry out the proposed project work.

Signature of Executive Authority of Institute/ University with Seal and date

CONSENT FORM

*To be filled individually by Parent/Guardian of student
(separate in case of two students)

I,, Father/Mother/
Guardian of, student of class, of
..... School, hereby give my consent for
her/his participation of in the Research work under ‘Promoting Research Attitude in Young And
Aspiring Students (PRAYAAS) 2026-27’ scheme of 2026-27 organized by National Council of
Educational Research and Training (NCERT), New Delhi. In case if her/his Project proposal is
selected, s/he will abide by all the rule and norm of NCERT.

Date

Place

Signature of the Parent/Guardian

Annexure-VI

STUDENT ACKNOWLEDGEMENT & RECEIPT OF FINANCIAL ASSISTANCE

Name of School:.....

PRAYAAS (Year):.....

Student Name:.....

Class.....

I,, studying in Class, hereby acknowledge that I have received financial assistance/scholarship support of ₹5,000/- (₹2,500/- per student) from

I confirm that the above-mentioned amount has been received by me/my parent or guardian and the information provided above is true and correct to the best of my knowledge.

Signature Student 1

Signature of Guide Teacher

Signature Student 2

Signature of School Head

FORM GFR 12A

GENERAL FINANCIAL RULES 2017
Ministry of Finance
Department of Expenditure

**GFR 12 – A**

[(See Rule 238 (1)]

**FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE
FOR AUTONOMOUS BODIES OF THE GRANTEE ORGANIZATION**

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE YEAR..... in respect
of recurring/non-recurring
GRANTS-IN-AID/SALARIES/CREATION OF CAPITAL ASSETS

1. Name of the Scheme.....
2. Whether recurring or non-recurring grants.....
3. Grants position at the beginning of the Financial year
 - (i) Cash in Hand/Bank
 - (ii) Unadjusted advances
 - (iii) Total
4. Details of grants received, expenditure incurred and closing balances: (Actuals)

Unspent Balances of Grants received years [figure as at Sl. No. 3 (iii)]	Interest Earned thereon	Interest deposited back to the Government	Grant received during the year			Total Available funds (1+2-3+4)	Expenditure incurred	Closing Balances (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			Sanction No. (i)	Date (ii)	Amount (iii)			

Component wise utilization of grants:

Grant-in-aid– General	Grant-in-aid– Salary	Grant-in-aid–creation of capital assets	Total

Details of grants position at the end of the year

- (i) Cash in Hand/Bank
- (ii) Unadjusted Advances
- (iii) Total



GENERAL FINANCIAL RULES 2017

Ministry of Finance
Department of Expenditure

FORM GFR 12A

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned:

- (i) The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules) and have been duly audited by designated auditors. The figures depicted above tally with the audited figures mentioned in financial statements/accounts.
- (ii) There exist internal controls for safeguarding public funds/assets, watching outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, ensuring quality in asset creation etc. & the periodic evaluation of internal controls is exercised to ensure their effectiveness.
- (iii) To the best of our knowledge and belief, no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/standing instructions and scheme guidelines.
- (iv) The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms and are not general in nature.
- (v) The benefits were extended to the intended beneficiaries and only such areas/districts were covered where the scheme was intended to operate.
- (vi) The expenditure on various components of the scheme was in the proportions authorized as per the scheme guidelines and terms and conditions of the grants-in-aid.
- (vii) It has been ensured that the physical and financial performance under..... (name of the scheme has been according to the requirements, as prescribed in the guidelines issued by Govt. of India and the performance/targets achieved statement for the year to which the utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – I duly enclosed.
- (viii) The utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – II duly enclosed (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications.)
- (ix) Details of various schemes executed by the agency through grants-in-aid received from the same Ministry or from other Ministries is enclosed at Annexure –II (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications).

Date:

Place:

Signature

Signature

Name.....

Name.....

Chief Finance Officer

Head of the Organisation

(Head of the Finance)

(Strike out inapplicable terms)

**NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FROM HEAD OF THE HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTES
(on letterhead)**

(For Non Requirement of Financial Assistance under PRAYAAS Scheme)

1. This is to certify that the project proposal titled “.....”
2. The institute welcomes participation of Ms./Mr.
student and Dr./Mr./Mrs. Post Graduate Teacher
of school under the mentorship of Prof./Dr.
..... of
college/ university / institute / research laboratories/ industry (PSU/
government/non-government) (HEI) in the project proposal titled
“.....”.
3. The Institute confirms that it will provide all necessary basic facilities and
infrastructure for the PRAYAAS student to carry out the proposed project work without
availing any financial assistance or funding from NCERT or the PRAYAAS scheme.

Signature of Executive Authority of Institute/University with Seal and Date

FORMAT FOR THE PROGRESS REPORT

1. The progress report must be submitted by the student(s) after three months of date of start of tenure of PRAYAAS. The report should be prepared under the following headings and required content under them:

S.No.	Section
1	Summary
2	Acknowledgement
3	Introduction and Objectives
4	Materials and Equipments required
5	Principle
6	Procedure
7	Results (till the progress report submission)
8	Conclusions and Discussion (on results till then and how much still needs to be done)
9	Index
10	References

Format for Final Technical Report

S.No.	Section	Content
1	Acknowledgement	Write words of gratitude towards the institutions involved and the people who helped you in some way throughout the research.
2	Abstract	Write a brief summary of your research work.
3	Introduction	Write about the background of the research while giving elaborate description of facts like principle, reactions, equations, and data etc. and relevance of the research in the community/society; also write about your motivation/ reason to do the research.
4	Objectives	Write the aim(s) of your research in clear words.
5	Methodology	Write the procedure/approach/method in stepwise and clear words; Write about the research methods you have used in the research. You can also use other creative way to write the procedure.
6	Results	Write about the findings about your research in easy and comprehensible way to make it easy for readers to understand; You can also use the tables and flowcharts etc. in this section.
7	C o n c l u s i o n / Discussion	Write about the conclusion you have drawn from the result. What does the result conclude? Summarize your research work here with the methodologies used and then you can write the reasons behind your obtained result; Also write about how the research will be relevant for the community/ society. If your result is not in line with your objective, then you can write about the possible reasons for the outcomes. Also write about some recommendation that you can give for this project.
8	References	Write all the citations of references that you have used while doing the research work. The citation can be given in the latest APA format.

Declaration Form

CERTIFICATE OF ORIGINALITY

We,,,,

hereby declare that the submitted Research work is our original creative work/modified form of available work and to the best of our knowledge, this work has never been done/ developed by any other person in this form.

Signature Student 1

Signature of Guide Teacher

Signature Student 2

Signature of HEI Expert

Interaction Proforma for PRAYAAS Team
(Student, Teacher and HEI Expert)

Project Title:.....

Name and class of Students:.....,

Name of School:

Name of Guide Teacher:

Name of HEI Expert: :.....

Name of HEI/Institution: :.....

S. No.	Date of Interaction	Mode (Online/Offline)	Stage of Mentoring	Guidance / Key Suggestions Provided by HEI Expert
1			Project Commencement	
2			Mid-Term Review	
3			Pre-Final Review	

Signature Student 1

Signature of Guide Teacher

Signature Student 2

Signature of HEI Expert

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING